



सत्यमेव जयते

राजस्व क्षेत्र

पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 5

राजस्व क्षेत्र
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 5

अनुक्रमणिका		
विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
विहंगावलोकन		v-vii
अध्याय-1: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1-6
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	6-7
कर निर्धारण में बकाया	1.3	8-9
कर का अपवंचन	1.4	9-10
प्रतिदाय मामले	1.5	10
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	10-12
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.6.1	12
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.6.2	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.6.3	12-13
लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई: मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0040' के तहत मूल्य वर्धित कर की विस्तृत स्थिति	1.7	13
निरीक्षण प्रतिवेदन	1.7.1	13
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.7.2	13-14
विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई	1.7.3	14-15
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.8	15
लेखापरीक्षा योजना	1.9	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	15
रिपोर्ट की व्याप्ति	1.11	16
अध्याय-11: बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर		
कर प्रशासन	2.1	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	17-18
इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक छूट	2.3	18-19
कर की रियायती दर की अनुचित अनुमति	2.4	19-20
सांविधिक फार्मों के बिना रियायत प्रदान करना	2.5	20-22
टर्नओवर का गलत निर्धारण	2.6	22-23
ठेकेदारों के मामलों में मजदूरी प्रभारों की अमान्य कटौती एवं अधिक कटौती अनुमत करना	2.7	23-25

शाखा स्थानांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अमान्य अनुमति	2.8	25-26	
कर की अतिरिक्त मांग पर ब्याज का अल्प/अनुद्ग्रहण	2.9	26-27	
बिक्री तथा स्टॉक को छिपाना	2.10	27-28	
अध्याय-III: राज्य आबकारी			
कर प्रशासन	3.1	29	
लेखापरीक्षा परिणाम	3.2	29-30	
न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर शास्ति एवं अतिरिक्त शास्ति का अनुद्ग्रहण	3.3	30-31	
खुदरा आबकारी शुल्क की अल्प वसूली	3.4	31-32	
कोषागार चालानों का सत्यापन न करना	3.5	32-34	
विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण	3.6	34-35	
मोलासेस से स्पिरिट की कम उपज (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल)	3.7	36-37	
अध्याय-IV: स्टाम्प शुल्क			
कर प्रशासन	4.1	39	
लेखापरीक्षा परिणाम	4.2	39-40	
पट्टे पर सरकारी भूमि का आवंटन	4.3	40-43	
निर्मित संरचनाओं पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली	4.4	43-44	
सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का अवनिर्धारण	4.5	45-46	
पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली	4.6	46-47	
अध्याय-V: वाहन, यात्री एवं माल कर			
कर प्रशासन	5.1	49	
लेखापरीक्षा परिणाम	5.2	49-50	
यात्री एवं माल कर की अवसूली	5.3	50-51	
परिशिष्ट		संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	53
1.2	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1.3	54-55
1.3	निरीक्षण प्रतिवेदन	1.7.1	56
1.4	स्वीकृत मामलों की वसूली	1.7.2	56

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत वर्णित हैं जो 2019-20 की अवधि के दौरान की गई लेखापरीक्षा जाँच में सामने आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे, जहां भी आवश्यक है, 2019-20 के पश्चात् के अवधि से सम्बंधित दृष्टांतों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा एवं लेखा, 2007 विनियमनों तथा लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस तथा यात्री व माल कर के अनुदग्रहण/अल्पोदग्रहण से सम्बंधित ₹ 168.27 करोड़ के राजस्व निहितार्थ 18 परिच्छेद सम्मिलित हैं।

I सामान्य

वर्ष 2019-20 हेतु सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष के दौरान ₹ 30,950.28 करोड़ की तुलना में ₹ 30,745.36 करोड़ थीं। इनमें से 33 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 7,626.78 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 2,501.50 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई। शेष 67 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 4,677.56 करोड़) तथा सहायता-अनुदान (₹ 15,939.52 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुई। विगत वर्ष के प्रति राजस्व प्राप्तियों में ₹ 204.92 करोड़ की गिरावट हुई।

(परिच्छेद 1.1)

वर्ष 2019-20 के दौरान बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, तथा वस्तु एवं यात्री कर की 204 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच संचालित की गई जिसमें अवनिर्धारण/अल्पोदग्रहण/राजस्व हानि के सकल ₹ 541.95 करोड़ के 1159 मामले उजागर हुए। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 311 मामलों में ₹ 55.70 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, इसमें से 11 मामलों में ₹ 0.03 करोड़ राशि की वसूली की गई। सम्बंधित विभागों ने विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित 276 मामलों को भी स्वीकार किया तथा ₹ 3.39 करोड़ की वसूली की।

(परिच्छेद 1.10)

II बिक्री एवं व्यापार पर कर/ मूल्य वर्धित कर

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के अंत में शेष स्टॉक में न बिके स्थानीय खरीद पर उचित रूप से विचार नहीं किया, जो 333 व्यापारियों को ₹ 8.45 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक छूट के रूप में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 2.3)

विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति को उचित तरीके से वर्गीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता के कारण कर की रियायती दर की अवैध स्वीकृति हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.83 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.4)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य एवं दोषपूर्ण सांविधिक फार्म की स्वीकृति तथा अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर की छूट के परिणामस्वरूप ₹ 2.38 करोड़ का अल्प उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.36 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.5)

निर्धारण अधिकारियों ने वास्तविक टर्नओवर से सकल टर्नओवर का कम आंकलन किया जैसा कि व्यापारियों के प्रमाणित लेखाओं में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.4 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 2.6)

मजदूरी प्रभारों के प्रति अमान्य कटौती एवं अधिक कटौती अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। साथ ही ₹ 1.41 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.7)

शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता ₹ 87.03 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य अनुमति के रूप में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.24 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.8)

निर्धारण प्राधिकारियों ने सृजित अतिरिक्त मांग पर उद्ग्रहणीय ₹ 72.02 ब्याज के बजाय ₹ 17.38 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 54.64 लाख का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.9)

वार्षिक रिटर्न में ₹ 4.55 करोड़ की बिक्री एवं अंत स्टॉक को कम करके दिखाने से ₹ 32.82 लाख के कर का अपवंचन हुआ। परिणामस्वरूप अपवंचित कर पर ₹ 25.89 लाख का ब्याज एवं ₹ 32.82 लाख की शास्ति भी देय रही।

(परिच्छेद 2.10)

III राज्य आबकारी

विभाग ने 765 बिक्रीकेन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 100 प्रतिशत बेंचमार्क के प्रति 19,13,244 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर ₹ 58.50 करोड़ की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया। 85 प्रतिशत बेंचमार्क के प्रति कम कोटा उठाने से ₹ 2.32 करोड़ की अतिरिक्त शास्ति भी उद्ग्रहणयोग्य थी।

(परिच्छेद 3.3)

सक्षम प्राधिकारी ने 36 लाइसेंसधारियों से ₹ 31.27 करोड़ की कम जमा लाइसेंस फीस की वसूली हेतु न तो बिक्री-केंद्र सील करने की न ही परमिट निरस्त/निलंबित करने की कोई कार्रवाई की।

(परिच्छेद 3.4)

चालानों का सरकारी खातों में कोषागार रसीदों अर्थात् ई-कोष वेबसाईट के साथ मिलान करने में विफलता तथा फर्जी चालान स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.5)

विभाग द्वारा क्रमशः 282 बिक्री-केन्द्रों के लाइसेंसधारियों एवं सात बोतलीकरण संयंत्र/डिस्टिलरीयों से लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 89.70 लाख एवं बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर

₹ 44.55 लाख की ब्याज राशि की मांग न करने के परिणामस्वरूप इतनी ब्याज राशि का उदग्रहण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 3.6)

IV स्टाम्प शुल्क

विभाग के पास पारदर्शी आवंटन एवं सरकारी भूमि के प्रभावी अनुश्रवण के लिए कोई तंत्र नहीं है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35.44 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 4.3)

उप-पंजीयकों द्वारा आवासीय तथा गैर-आवासीय निर्मित संरचनाओं के लिये गलत बाजार दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 6.44 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.4)

गलत सर्किल दरों तथा सड़क से भूमि की दूरी के झूठे शपथ पत्रों के आधार पर गलत मूल्यांकन के कारण ₹ 6.20 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.5)

पट्टा नामे पर देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना हेतु बाजारी दरों का उपयोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.12 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.6)

V वाहन, यात्री एवं माल कर

अवधि 2017-19 के लिए 572 व्यावसायिक वाहनों के मालिकों द्वारा ₹ 34.73 लाख के यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं किया गया एवं न ही विभाग द्वारा मांग की गई।

(परिच्छेद 5.3)

अध्याय-।
सामान्य

अध्याय-1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर भिन्न राजस्व, राज्य के समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनरूपी आंकड़े नीचे तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 ¹
1.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	कर राजस्व	6,695.81	7,039.05	7,107.67	7575.61	7,626.78 ²
	कर भिन्न राजस्व	1,837.15	1,717.24	2,363.85	2,830.04	2,501.50
	योग	8,532.96	8,756.29	9,471.52	10,405.65	10,128.28
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	3,611.17	4,343.70	4,801.31	5,426.97	4,677.56 ³
	सहायता अनुदान	11,296.35	13,164.35	13,094.23	15,117.66	15,939.52 ⁴
	योग	14,907.52	17,508.05	17,895.54	20,544.63	20,617.08
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 व 2)	23,440.48	26,264.34	27,367.06	30,950.28	30,745.36
4.	1 की 3 से प्रतिशतता	36	33	35	34	33

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹ 10,128.28 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 33 प्रतिशत था। प्राप्तियों का शेष 67 प्रतिशत भारत सरकार के विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय के राज्यांश तथा सहायता अनुदान के रूप में था। 2015-2020 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राज्य सरकार की उसके स्वयं के संसधानों से हुई राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 36 से 33 प्रतिशत तक गिर गया। 2015-16 से 2019-20 तक राजस्व प्राप्तियों की समग्र

¹ राज्य सरकार के वित्त लेखे।


² इसमें मुख्य प्राप्ति शीर्ष 0006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्त ₹ 3,550.34 करोड़ की राशि सम्मिलित हैं।

³ विवरण परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

⁴ इसमें वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,877.33 करोड़ की राशि सम्मिलित है। कुल प्राप्ति योग्य क्षतिपूर्ति ₹ 2619.10 करोड़ थी।

प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में दर्शाई गई हैं:

चार्ट: 1.1



स्रोत: वित्त लेखे

कर राजस्व

1.1.2 वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का विवरण तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका: 1.2: कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण


क्र. स.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	कर राजस्व प्राप्तियाँ (कुल कर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)					2019-20 में 2018-19 की वास्तविक प्राप्तियों के प्रति वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
1.	बिक्री एवं व्यापार पर मूल्य वर्धित कर	3,992.99 (59.63)	4,381.91 (62.25)	2525.87 (35.53)	1,185.43 (15.64)	1,169.53 (15.33)	(-)
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर			1,833.16 (25.79)	3,342.68 (44.12)	3,550.34 (46.55)	6
2.	राज्य आबकरी	1,131.22 (16.89)	1,307.87 (18.58)	1,311.25 (18.45)	1,481.63 (19.55)	1,660.02 (21.77)	12
3.	मोटर वाहन कर	317.05 (4.74)	279.58 (3.97)	367.16 (5.17)	408.01 (5.39)	465.52 (6.10)	14
4.	स्टाम्प शुल्क	205.52 (3.07)	209.16 (2.97)	229.18 (3.22)	250.55 (3.31)	259.58 (3.40)	4
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	551.06 (8.23)	371.67 (5.28)	360.79 (5.08)	487.08 (6.43)	100.86 (1.32)	(-)

6.	अन्य	497.97 (7.44)	488.86 (6.94)	480.26 (6.76)	420.23 (5.55)	420.93 ⁵ (5.52)	0
योग		6,695.81	7,039.05	7,107.67	7,575.61	7,626.78	0.68
गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		12.72	5.13	0.97	6.58	0.68	
वार्षिक औसत प्राप्ति तथा पाँच वर्षों हेतु वार्षिक औसत वृद्धि दर							7,208.98/ 5.22

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष वार कर राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान 5.22 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ कर राजस्व में ₹ 930.97 करोड़ (13.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2019-20 हेतु वृद्धि दर मात्र 0.68 प्रतिशत थी, जो मुख्यतः विद्युत पर कर एवं शुल्क की वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट के कारण थी, जो कि 2018-19 के दौरान 35 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान (-)79.29 प्रतिशत घट गई। यह गिरावट हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा विद्युत पर कर व शुल्क का भुगतान ना करने के कारण हुई।

⁵ अन्य प्राप्तियाँ: भू-राजस्व ₹ 4.79 करोड़, माल व यात्री कर: ₹ 104.03 करोड़ तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क: ₹ 312.10 करोड़ (विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय के अंश को छोड़कर)।

वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** कर संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर के तहत जुर्माना व ब्याज की प्राप्ति के कारण तथा नियमों एवं विनियमों को अच्छे ढंग से लागू करने के कारण हुई।
- **राज्य आबकारी शुल्क: (वर्ष 2019-20)** में वृद्धि मुख्य रूप से लाइसेंस शुल्क व आबकारी शुल्क की बेहतर निगरानी एवं आबकारी नीति 2019-20 को अच्छे ढंग से लागू करने के कारण हुई है।
- **मोटर वाहन कर:** संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 3,041 अधिक वाहनों की बिक्री के कारण हुई है।
- **विद्युत पर कर एवं शुल्क:** प्राप्ति में कमी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बिजली शुल्क का भुगतान ना करने के कारण हुई क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड⁶ की वित्तीय स्थिति खराब है।

कर भिन्न राजस्व

1.1.3 वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका: 1.3: जुटाए गए कर भिन्न राजस्व का विवरण

क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ (कुल कर-भिन्न प्राप्तियों का प्रतिशत)					₹ करोड़ में
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 में 2018-19 की वास्तविक प्राप्तियों से अधिक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1.	विद्युत	923.68 (50.28)	650.93 (37.91)	687.61 (29.09)	1,134.34 (40.08)	1,021.68 (40.84)	(-)9.93
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	93.84 (5.11)	145.56 (8.48)	340.54 (14.41)	385.88 (13.64)	245.36 (9.81)	(-)36.42
3.	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	155.08 (8.44)	176.22 (10.26)	441.46 (18.68)	221.05 (7.81)	246.30 (9.85)	11.42
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	34.47 (1.88)	18.50 (1.08)	46.87 (1.98)	76.32 (2.70)	83.61 (3.34)	9.55
5.	लोक निर्माण कार्य	43.00 (2.34)	54.60 (3.18)	55.87 (2.36)	69.92 (2.47)	53.51 (2.14)	(-)23.47
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32.81 (1.79)	42.63 (2.48)	40.45 (1.71)	51.34 (1.81)	49.65 (1.98)	(-)3.29


⁶ चूंकि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को रोल बैक सब्सिडी का भुगतान नहीं किया था, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड वर्ष 2019-20 के दौरान बिजली शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ था और बाद में राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली रोल बैक सब्सिडी के साथ वर्ष 2020-21 में ₹ 218.85 करोड़ की राशि को समायोजित किया गया।

7.	पुलिस	48.53 (2.64)	50.50 (2.94)	63.33 (2.68)	72.89 (2.58)	55.28 (2.21)	(-)24.16
8.	अन्य कर- भिन्न प्राप्तियाँ ⁷	505.74 (27.53)	578.30 (33.68)	687.72 (29.09)	818.30 (28.91)	746.11 (29.83)	(-)8.82
योग		1,837.15	1,717.24	2,363.85	2,830.04	2,501.50	(-)11.61

स्रोत: वित्त लेखे

2015-16 से 2019-20 के दौरान कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों की वर्ष-वार प्रवृत्ति नीचे चार्ट 1.3 में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 में समग्र कर भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ 2018-19 (₹ 2,830.04 करोड़) की तुलना (11.61 प्रतिशत) में घटकर ₹ 2,501.50 करोड़ हो गई। कर-भिन्न राजस्व में मुख्यतः विद्युत (40.84 प्रतिशत), अलौह, खनन एवं धातु कर्म उद्योग (9.85 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियाँ (9.81 प्रतिशत) मुख्य योगदानकर्ता हैं तथा कुल कर-भिन्न राजस्व में 60.50 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष के दौरान भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए गए:

- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** वृद्धि मुख्यतः राज्य वन निगम व अन्य द्वारा इमारती लकड़ी/लकड़ी की अधिक खरीद, अधिक रॉयल्टी/वनोपज से धन की प्राप्ति, संस्वीकृति शुल्क एवं जब्त इमारती लकड़ी/लकड़ी से अधिक धन की प्राप्ति के कारण थी।

⁷ अन्य कर-भिन्न का विवरण परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है।

- **पुलिस:** भाखड़ा व्यास प्रबन्धन बोर्ड के गार्ड, रेलवे पुलिस व अन्य विभागों से कम वसूली के कारण गिरावट हुई।
- **लोक निर्माण कार्य:** वर्ष 2019-20 में 2018-19 की तुलना में उप शीर्ष 800 “विविध प्राप्तियों” में कम संग्रह के कारण गिरावट हुई। उप शीर्ष के तहत प्राप्ति ₹30.52 करोड़ वर्ष 2018-19 से घट कर वर्ष 2019-20 में ₹15.49 करोड़ हो गई। विभाग द्वारा विविध प्राप्तियों में कमी का कारण नहीं दिया गया।
- **सहकारिता:** 2018-19 के ₹ 24.65 करोड़ से 2019-20 में ₹ 6.84 करोड़ की गिरावट 2018-19 की तुलना में 2019-20 में राज्य में समेकित सहकारिता विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से कम अनुदान प्राप्त होने के कारण हुई।
- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान योजना से व्यय की प्रतिपूर्ति की प्राप्ति, अधिक भुगतान की वसूली एवं विविध प्राप्ति के कारण है। तथापि, विभाग द्वारा अधिक भुगतान व विविध प्राप्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- **चिकित्सा व जन स्वास्थ्य:** वृद्धि, कबाड़ के स्टॉक की बिक्री व लाइसेंस एवं चिकित्सा परीक्षा के शुल्क की प्राप्ति के कारण हुई।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए (अप्रैल 2021)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2020 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों में वसूली योग्य राजस्व बकाया की राशि ₹ 4,843 करोड़ थी जिसमें से ₹ 2,726.67 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसे कि तालिका 1.4 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

				₹ करोड़ में
क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों का मुख्य शीर्ष	31 मार्च 2020 तक बकाया राशि	31 मार्च 2020 तक पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर	3,790.19	2,351.48	वर्ष 2019-20 के दौरान ₹274 करोड़ की बकाया राशि की वसूली की गई हैं एवं अधिकांश मामलों को भू-राजस्व का बकाया घोषित किया गया। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कारण, वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अलावा, व्यापारियों व कर याचिकाकर्ताओं ने प्रोत्साहन योजनाओं की प्रतीक्षा की जिससे की निपटान का प्रतिशत कम रहा। कुछ मामले विभिन्न न्यायालयों में न्यायनिर्णयन के लिए भी लंबित हैं। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर एवं बद्धी में क्रमशः ₹ 215.46 करोड़ एवं ₹ 203.25 करोड़ का बकाया पांच
2.	राज्य आबकारी	268.03	39.76	
3.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	83.90	47.01	
4.	माल एवं वाहन पर कर	7.51	6.45	

				वर्षों से अधिक समय से बकाया था। हालांकि, इकाइयों द्वारा कोई विशेष कारण नहीं बताया गया था।
5.	जलपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं लघु सिंचाई	324.82	235.25	₹ 306.31 करोड़ नगर निगम एवं निगम समिति से बकाया है। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। फील्ड स्टाफ की कमी के कारण बकाया राशि की वसूली नहीं की गई थी।
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	218.85	0	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली रोल बैक सब्सिडी के साथ वर्ष 2020-21 में ₹ 218.85 करोड़ की राशि को समायोजित किया है।
7.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	123.07	41.21	अंतर्ग्रस्त राशि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, सरकारी विभागों व ठेकेदारों से वसूली की जानी है। ₹ 41.21 करोड़ में से ₹ 38.22 करोड़ की हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड से वसूली जानी है तथा इसे चरणबद्ध तरीके से जमा किया जा रहा है। अन्य विभागों एवं ठेकेदारों से वसूली जाने वाली राशि बहुत पुराने मामलों से सम्बंधित हैं एवं कुछ मामलों में वसूली के लिए बहुत छोटी राशि शामिल है। ठेकेदारों से वसूली के कुछ मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं तथा कुछ को बड़े खाते में डालने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।
8.	पुलिस	14.69	2.29	जुंगा, बनगढ़, सकोह, पंडोह व बेरी की बटालियनों से ₹ 10.80 करोड़ का बकाया लंबित है। वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।
9.	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.05	0.02	बकाया वर्ष 1980-81 से संचित था। बकाया शैड के किराए (औद्योगिक सम्पदा), सरकारी आवास के किराए व शहत्त के पौधों की बिक्री से प्राप्त आदि से सम्बंधित था।
10.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	6.42	0.77	सर्व शिक्षा अभियान, लालपानी से ₹ 3.71 करोड़, अन्य उद्योगों/ विभागों/निगमों से ₹ 2.71 करोड़ का बकाया वसूली योग्य था तथा वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।
11.	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	0.88	0.68	बकाया वर्ष 1983-84 से संचित था। बकाया खनन कार्यालयों एवं भू-वैज्ञानिक विंग निदेशालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (मुख्यालय), भू-वैज्ञानिक विंग उद्योग निदेशालय से रॉयल्टी की वसूली/ ड्रिलिंग प्रभारों आदि से सम्बन्धित हैं।
12.	लोक निर्माण कार्य	0.28	0.15	बकाया राशि की वसूली करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
13.	उद्योग	5.08	1.60	बकाया वर्ष 1989-90 से संचित था। बकाया भू-खण्ड (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बन्धित था।
योग		4,843	2,726.67	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.3 कर निर्धारण में बकाया

कर प्राप्ति के विभिन्न विभागों, जैसे राजस्व, परिवहन तथा आबकारी एवं कराधान में से, केवल आबकारी एवं कराधान विभाग के पास रिटर्न दाखिल करने एवं उसके बाद प्राधिकारियों द्वारा उनके निर्धारण का प्रावधान है, इसलिए आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न शीर्षों के तहत कर निर्धारण की बकाया राशि का विश्लेषण किया गया। बिक्री कर, मोटर स्पिरिट कर, विलासिता कर व कार्य संविदाओं पर करों के सम्बन्ध में आबकारी विभाग द्वारा वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामले, निर्धारण के लिए देय होने वाले मामले, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका: 1.5: निर्धारणों में बकाया

राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	अथशेष	2019-20 के निर्धारण हेतु बकाया नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	2019-20 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत तक शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5/4)
1	2	3	4	5	6	7=(5/4)
बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर	1,71,389	12,902	1,84,291	35,829	1,48,462	19
केन्द्रीय बिक्री कर	1,52,169	6,147	1,58,316	36,856	1,21,460	23
विलासिता कर	3,812	553	4,365	1,419	2,946	33
निर्माण कार्य संविदा पर कर	1,135	0	1,135	163	972	14
मोटर स्पिरिट कर	30	71	101	34	67	34
योग	3,28,535	19,673	3,48,208	74,301	2,73,907	21

स्रोत: विभागीय आंकड़े

निपटान का कम प्रतिशत (कार्य अनुबंधों पर कर के मामले में 14 प्रतिशत एवं मूल्य वर्धित कर में 19 प्रतिशत) एक गंभीर चिंता का विषय था क्योंकि राज्य बड़े पैमाने पर लंबित मामलों के कारण राज्य में संभावित राजस्व से वंचित हुआ तथा मूल्य वर्धित कर आकलन में श्रमशक्ति की व्यस्तता के कारण यह वस्तु एवं सेवा कर की दक्षता को प्रभावित कर रहा था। 2018-19 में निपटान का प्रतिशत 25 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 21 प्रतिशत हो गया जो वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले के पुराने मामलों को निपटाने में विभाग की खराब दक्षता को दर्शाता है।

1.3.1 लंबित अपील मामले

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभागीय स्तर पर 538 मामले लम्बित हैं। इनमें से 366 मामले 1996-97 से पहले के वर्ष से संबंधित हैं। लंबित अपील मामलों की उच्च संख्या से पता चलता है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पूर्वोक्त मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई प्रबल प्रयास नहीं किए गए हैं।

इस प्रकार, बड़े पैमाने पर लम्बित प्रकरणों के कारण राज्य सरकार राजस्व से वंचित रही। यदि विभाग समय पर पहल करता तो राजस्व की वसूली समय पर हो सकती थी।

1.3.2 इकोनोमिक इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा पता लगाए गए मामलों के तहत बकाया मामलों का लंबित होना

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान इकोनोमिक इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा 298 मामलों का पता लगाया गया। इनमें से, केवल 22 मामलों को अंतिम रूप दिया गया एवं ₹ 64.37 करोड़ की अतिरिक्त मांग बनाई एवं वसूल की गई, जिससे शेष 276 मामले (93 प्रतिशत) लम्बित रहे। इकोनोमिक इंटेलीजेंस यूनिट द्वारा पता लगाए गए मामलों को अंतिम रूप देने की खराब दर (सात प्रतिशत) से विभाग की उक्त मामलों को अंतिम रूप देने में शिथिलता दर्शाती है।

वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के चार साल बीत जाने के बावजूद, मूल्य वर्धित कर के 1,48,462 मामले एवं केन्द्रीय बिक्री कर के 1,21,460 मामले आंकलन के लिए लंबित हैं, जिन्हें मौजूदा दर (20-25 प्रतिशत) पर लंबित निर्धारणों को निपटाने एवं निस्तारण में और पांच वर्ष लग सकते हैं। विभाग को मूल्य वर्धित कर निर्धारण के तहत बकाया मामलों का तेजी से निस्तारण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर निर्धारण की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है।

1.4 कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभागों द्वारा उजागर किए गए कर अपवंचन के मामले, निर्णीत मामले तथा विभाग द्वारा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण नीचे तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: कर का अपवंचन

क्र. स.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	1 अप्रैल 2019 तक अथशेष	2019-20 के दौरान उजागर मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2020 तक अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर	65	731	796	731	3.25	65
2.	राज्य आबकारी	72	838	910	848	2.46	62
3.	यात्री एवं माल कर	36	16,571	16,607	16,586	7.23	21
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	7	1,268	1,275	1,239	5.57	36
योग		180	19,408	19,588	19,404	18.51	184

स्रोत: विभागीय आंकड़े

आबकारी एवं कराधान विभाग में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आरम्भ में अंतिम रूप देने के लिए कुल लंबित 180 मामले वर्ष 2019-20 के अंत तक बढ़कर 184 हो गए। राजस्व विभाग द्वारा "भू-राजस्व" शीर्ष के तहत कर अपवंचन का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

1.5 प्रतिदाय मामले

वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय तथा वर्ष 2019-20 के अन्त तक लंबित मामलों के विवरण तालिका 1.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.7: लंबित प्रतिदाय मामले

क्र. स.	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	48	11.51	23	1.08
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	197	59.69	54	3.42
3.	वर्ष के दौरान किया गया प्रतिदाय	195	48.27	71	4.31
4.	वर्ष की समाप्ति पर शेष बकाया	50	22.93	6	0.20

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बकाया मामलों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक बकाया मामलों की संख्या बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर हेतु बढ़ गई तथा राज्य आबकारी हेतु घट गई।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय हिमाचल प्रदेश, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जाँच करने तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्यवाही के दौरान उजागर की गई तथा मौके पर न निपटाई गई अनियमितताओं को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया जाता है तथा इसकी प्रतियां निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों सहित उच्च अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई हेतु भेजी जाती हैं।

कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट अभियुक्तियों की अनुपालना करना आवश्यक है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा को प्रधानमहालेखाकार द्वारा सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है।

विभागों/सरकार से उत्तर प्राप्त न होने के मामले को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल ऐसे परिच्छेदों के अंत में दर्शाया गया है। मार्च 2020 तक जारी की गई, 2,174 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 7,240 लेखापरीक्षा आपत्तियों में अंतर्ग्रस्त ₹ 1652.13 करोड़ की राशि जून 2020 के अंत तक

बकाया थी जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए तत्सम्बन्धी आंकड़ों सहित तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका: 1.8 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2018	जून 2019	जून 2020 ⁸
निपटन हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,660	2,742	2,174
बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	7,924	8,439	7,240
अन्तर्गस्त राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,958.98	2,209.43	1,652.13

स्रोत: विभागीय आंकड़े

30 जून 2020 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विवरण तथा उनमें अन्तर्गस्त राशि तालिका 1.9 में नीचे दर्शाई गई है।

तालिका 1.9: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्र. स.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	अन्तर्गस्त मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री तथा व्यापार पर कर/ मूल्य वर्धित कर	183	1236	567.08
		राज्य आबकारी	88	396	592.73
		यात्री व माल कर	193	464	72.28
		वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	94	125	0.01
		मनोरंजन एवं विलास कर	83	178	14.00
2.	राजस्व	भू-राजस्व	43	95	0.83
		स्टाम्प एवं पंजीयन फीस	737	1,829	65.19
3.	परिवहन	मोटर वाहन कर	753	2,917	340.01
योग			2,174	7,240	1,652.13

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किए गए 204 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 140 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों से चार सप्ताह की निर्धारित अवधि के बाद लेखापरीक्षा को प्रथम उत्तर⁹ भी प्राप्त नहीं हुए।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना कि क्या निर्धारित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है तथा गैर-अनुपालना, व्यवस्थागत कमियों एवं विफलताओं के मामले को उजागर करना है। निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा निपटान हेतु लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों की बढ़ती संख्या लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को इंगित करती हैं। इन लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर बनाता है तथा राजस्व की हानि के जोखिम को बढ़ाता

⁸ इसमें वन विभाग से सम्बन्धित आंकड़े शामिल नहीं हैं।

⁹ एक लेखापरीक्षा योग्य इकाई के प्रभारी अधिकारी को एक लेखापरीक्षा नोट या निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर इसका जवाब भेजना होता है।

है। लेखापरीक्षा द्वारा लगातार इंगित लंबित लेखापरीक्षा परिच्छेदों में वृद्धि का मामला सरकार द्वारा तत्काल ध्यान देने योग्य है।

1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों के पर्यवेक्षण तथा निपटान में तीव्रता लाने के लिए सचिव की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया था। वर्ष 2019-20 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए परिच्छेदों का विवरण नीचे तालिका 1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	लंबित परिच्छेदों की संख्या	निपटाये गये परिच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	1	2,352	174	1.28
2.	राजस्व	1	1,589	51	0.12
3.	यातायात	1	2,598	20	0.02
योग		3	6,539	245	1.42

स्रोत: राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), शिमला

2019-20 में, अप्रैल 2019 तक 6,539 बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों में से ₹ 1.42 करोड़ राशि से अन्तर्ग्रस्त 245 आपत्तियां (3.75 प्रतिशत) ऊपर उल्लेखित विभागों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकों में समायोजित की गई।

सरकार सभी विभागों में नियमित अन्तराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।

1.6.2 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को 27 प्रारूप परिच्छेद फरवरी 2021 तथा मई 2021 के मध्य भेजे गये थे, जिसमें से 18 परिच्छेदों को इस प्रतिवेदन में स्थान दिया गया है।

1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई- सारांशित स्थिति

लोक लेखा समिति ने अधिसूचित किया (दिसम्बर 2002) कि भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, इन प्रावधानों के बावजूद भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियों में असाधारण विलम्ब था। हिमाचल प्रदेश सरकार के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 तथा 2018 को समाप्त वर्षों के लिए प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 112 परिच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) 10 अप्रैल 2015 तथा 14 दिसम्बर 2019 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु संबंधित विभागों से

इन परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां (एक्शन टेकन नोट्स) विभागों से बहुत देरी से प्राप्त हुए थे, जैसा कि तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: एक्शन टेकन नोट्स की प्राप्ति में विलम्ब

क्र.स.	समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की तिथि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त करने की अवधि	एक्शन टेकन नोट्स की प्राप्ति में विलम्ब
1.	2014	10 अप्रैल 2015	2015 से 2018	1 से 37 महीने
2.	2015	07 अप्रैल 2016	2016 से 2018	2 से 24 महीने
3.	2016	31 मार्च 2017	2017 से 2018	5 से 15 महीने
4.	2017	05 अप्रैल 2018	2018 से 2019	0 से 14 महीने
5.	2018	14 दिसम्बर 2019	2020 से 2021	6 से 13 महीने
6.	2019	13 अगस्त 2021	अभी प्राप्त की जानी है	

वर्ष 2019-20 के दौरान लोक लेखा समिति ने राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2008-09 से 2016-17) से सम्बन्धित 30 परिच्छेदों पर चर्चा की।

1.7 लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई: मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0040' के तहत मूल्य वर्धित कर की विस्तृत स्थिति

मुख्य प्राप्ति शीर्ष '0040'- बिक्री, व्यापार कर/मूल्य वर्धित आदि पर कर के तहत आबकारी विभाग के लिए पिछले दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल परिच्छेदों व निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा इसका विवरण आगामी परिच्छेदों 1.7.1 से 1.7.3 में दिया गया है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदन

पिछले दस वर्षों के दौरान मूल्य वर्धित कर से सम्बन्धित जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति, 31 मार्च 2020 तक इन निरीक्षण प्रतिवेदनों, में सम्मिलित परिच्छेद तथा उनकी संक्षिप्त स्थिति परिशिष्ट 1.3 में दर्शाई गई है।

वर्ष 2010-11 के प्रारंभ में 718 परिच्छेदों सहित 144 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की तुलना में 2019-20 के अन्त तक 947 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 149 हो गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किया गया तत्सम्बन्धी मुद्रा मूल्य ₹ 57.17 करोड़ से बढ़कर ₹ 616.15 करोड़ हो गया।


1.7.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

आबकारी एवं करराधान विभाग द्वारा स्वीकृत पिछले दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा वसूल की गई राशि की स्थिति परिशिष्ट 1.4 में दर्शाई गई है।

वसूली की प्रगति स्वीकृत मामलों में भी बहुत धीमी थी, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत परिच्छेदों में ₹ 96 करोड़ के कुल वसूली योग्य राजस्व के प्रति केवल ₹ 5.38 करोड़ की ही वसूली की गई।

आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मामलों की वसूली तथा वसूल की गई राशि को नीचे चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट: 1.4



स्रोत: लोक लेखा समिति, राजस्व क्षेत्र, शिमला

1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा की गई निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारूप प्रतिवेदन (ड्राफ्ट रिपोर्ट) संबंधित विभाग/सरकार को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अंतिम बैठक में भी चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय विभाग/सरकार के विचारों को शामिल किया जाता है।

मुख्य प्राप्त शीर्ष '0040' के अंतर्गत मूल्यवर्धित कर पर निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को शामिल किया गया था जो वर्ष 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया था, जैसा कि तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

क्र.स.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का शीर्षक	निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई अनुशंसाओं की संख्या	टिप्पणियां
1	2014-15	मूल्य वर्धित कर के तहत मूल्यांकन की प्रणाली	पांच	विभाग ने पांच में से तीन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।

वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के माध्यम से एचएसएन कोड के कार्यान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं का अनुपालन किया गया है। विभाग ने विक्रेताओं का पंजीयन न होने एवं

समय पर नोटिस जारी न करने के संबंध में लेखापरीक्षा अनुशंसा के संदर्भ में निरीक्षण एवं निगरानी हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किये थे।

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभागों में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग को अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी किए गए विभागीय निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना-जांच करना अपेक्षित था।

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाइयां की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाइयां की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	6	2	4
राजस्व	173	25	-	25
परिवहन				

स्रोत: विभागीय आंकड़े

आबकारी एवं कराधान विभाग तथा राजस्व विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण स्टाफ की कमी बताया। परिवहन विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा से सम्बंधित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 506 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ हैं, जिनमें से 204 इकाइयों¹⁰ की योजना बनाई गई थी और 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2019-20 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन, एवं माल व यात्री कर की 204 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उजागर की गई कमियों के 1,159 मामलों में ₹ 541.95¹¹ करोड़ की कुल राजस्व हानि थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान, संबंधित विभागों ने 311 मामलों में ₹ 55.70 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिसमें से 11 मामलों में ₹ 0.03 करोड़ की वसूली की गई। संबंधित विभागों ने पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 276 मामलों¹² में ₹ 3.39 करोड़ की राशि को स्वीकार किया एवं वसूली की।

¹⁰ इन इकाइयों में तीन विभागों के अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं - आबकारी, परिवहन और राजस्व विभाग, शिमला

¹¹ बिक्री और व्यापार पर मूल्य वर्धित कर: राशि: ₹ 127.77 करोड़; मामले: 296; राज्य आबकारी: राशि: ₹ 313.97 करोड़; मामले: 119; स्टाम्प शुल्क: राशि: ₹ 59.19 करोड़; मामले: 487; वाहनों, यात्री एवं माल पर कर: राशि: ₹ 41.02 करोड़; मामले: 257

¹² स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क ₹ 68.58 लाख, मामले 106; एमवीटी ₹ 91.01 लाख, मामले 07; राज्य आबकारी ₹ 82.32 लाख, मामले 07; मूल्य वर्धित करों ₹ 96.64 लाख, मामले 156

1.11 रिपोर्ट की व्याप्ति

इस रिपोर्ट में ₹ 168.27 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ वाले 18 परिच्छेद हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 133.59 करोड़ से अंतर्ग्रस्त लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया, जिनमें से 14 परिच्छेद में ₹ 34.48 करोड़ की वसूली की गई।

अध्याय-॥

बिक्री एवं व्यापार पर
कर/मूल्य वर्धित कर

अध्याय-11

बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा उत्पाद शुल्क की व्यवस्था करता है। आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है तथा तीन अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं कराधान आयुक्त, दो संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी व पांच उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी इसके सहायक होते हैं। क्षेत्र में जिला स्तर पर 12 उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी हैं, जिन्हें 119 सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित कर कानूनों एवं नियमों की व्यवस्था हेतु विभाग की सभी गतिविधियों एवं सम्बद्ध स्टाफ की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी व सहायक राज्य आबकारी एवं कराधान अधिकारी होते हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग में 88 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं। इनमें से लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1,920.02 करोड़ की प्राप्ति वाली 35 इकाइयों का चयन किया। मूल्य वर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर, बहुउद्देशीय बैरियर एवं विलासिता कर से संबंधित कुल 55,376 मामलों में से 21,516 मामलों की नमूना जांच से 296 मामलों में ₹ 127.77 करोड़ के कर के अवनिर्धारण से संबंधित एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

₹ करोड़ में			
क्र. स.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	कर का अवनिर्धारण	27	11.82
2	दोषपूर्ण सांविधिक फॉर्म सी, डी, एफ व आई की स्वीकृति	20	42.51
3	बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	23	33.92
4	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक छूट	42	10.27
5	कर की गलत दर लागू करना	15	12.37
6	अन्य अनियमितताएं	118	15.54
योग		245	126.43
अन्य कर एवं कर-भिन्न			
1.	मनोरंजन कर	15	0.02
2.	बहुउद्देशीय बैरियर एवं विलासिता कर	36	1.32
योग		51	1.34
सकल योग		296	127.77

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

2019-20 के दौरान विभाग ने पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 156 मामलों में ₹ 96.64 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार एवं वसूल किया। विभाग ने 2019-20 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 85 मामलों में ₹ 15.55 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को भी स्वीकार किया, जिनमें से तीन मामलों में ₹ 0.72 लाख की वसूली की गई।

₹ 18.13 करोड़ की राशि के महत्वपूर्ण मामलों (आठ परिच्छेद) की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक छूट

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के अंत में शेष स्टॉक में न बिके स्थानीय खरीद पर उचित रूप से विचार नहीं किया, जो 333 व्यापारियों को ₹ 8.45 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक छूट के रूप में परिणत हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11 में प्रावधान है कि स्थानीय खरीद पर चुकाए गए इनपुट टैक्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जाता है, परन्तु एक व्यापारी द्वारा यह दावा केवल उस स्थानीय खरीद की बिक्री के समय ही किया जा सकता है। इसलिए, यदि स्थानीय खरीद का स्टॉक नहीं बिका है, जो कर अवधि के दौरान व्यापारी के अंत स्टॉक में परिलक्षित होता है, तो न बिके अंत स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को उस कर अवधि के लिए रोक दिया जाना चाहिए एवं बाद की कर अवधि में, जब बिक्री हो जाती है, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियम के नियम 23 में प्रावधान है कि जहां एक पंजीकृत व्यापारी ने खरीदे गए माल का उपयोग आंशिक रूप से कर योग्य बिक्री के लिए किया है एवं लेखाओं को बनाए रखने में असमर्थ है एवं उसके द्वारा बिक्री में कर रहित माल एवं कर योग्य माल एवं/या शाखा हस्तांतरण शामिल है, तो यह माना जायेगा कि कर अवधि के दौरान खरीदे गए सामान का उपयोग इस कर अवधि के लिए बिक्री के टर्नओवर से क्रमशः कर रहित माल, कर योग्य माल एवं शाखा हस्तांतरण के अनुपात में किया गया है एवं तदनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना एवं दावा उसी अनुपात में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।

अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी-सह-अपील प्राधिकारी ने 12 अप्रैल 2012 के एक निर्णय में स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यापारी वर्ष के दौरान की गई स्थानीय खरीद के बिना बिके स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करता है, तो धारा 19 के अंतर्गत अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ब्याज उस अवधि तक लगाना चाहिए जब स्टॉक बेचा गया था एवं उस अवधि तक नहीं जब निर्धारण किया गया था।

2017-19 के दौरान 12 उपायुक्त¹ राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा 2009-10 से 2017-18 के मध्य की कर अवधि के लिए 333 व्यापारियों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय शेष माल पर केवल ₹ 9.11 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोका गया। लेखापरीक्षा ने गणना की कि अंत स्टॉक में बिना बिकी हुई स्थानीय खरीद के अनुपात के आधार पर, निर्धारण प्राधिकारियों को अन्त स्टॉक पर ₹ 17.56 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकना चाहिए था। इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम की धारा 11 के उल्लंघन करते हुए ₹ 8.45 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी, जिसके लिए अभिलेख में कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया गया। बिना बिके स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक छूट से भी व्यापारी अपनी कर देयता को कम से कम एक वर्ष के लिए टालने में समर्थ हुआ, जिसके कारण उक्त निर्णय के अनुसार ₹ 1.35 करोड़ की राशि का ब्याज भी उदग्रहण योग्य हुआ।

मामला मार्च 2021 में सरकार को भेजा गया था। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये थे तथा 122 मामलों में ₹ 20.32 लाख की वसूली की गई थी।

विभाग कर की उस अवधि में सरकार को देय राजस्व को सुरक्षित करने के लिए कर अवधि के दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट के संबंध में प्रावधानों का सख्ती से पालन करें।

2.4 कर की रियायती दर की अनुचित अनुमति

विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति को उचित तरीके से वर्गीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता के कारण कर की रियायती दर की अवैध स्वीकृति हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.83 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

आबकारी एवं कराधान विभाग ने अप्रैल 2013 में वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर एक व डेढ़ प्रतिशत पर कर की रियायती दर, निषेधात्मक सूची² में निदिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, जिन पर दो प्रतिशत केन्द्रिय बिक्री कर जारी रहेगा, अधिसूचित की।

चार उपायुक्तों³ राज्य कर एवं आबकारी के 2017-19 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा 2019 में की गई जिसमें से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने (2018-19) में वर्ष 2013-14 से 2017-18 के 20 व्यापारियों के 36 मामलों के निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निषेधात्मक सूची में आने वाली वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर डेढ़ प्रतिशत कर की रियायती दर की अनुमति दी, जिस पर दो

¹ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: 2017-18: बदी (दो मामले: 25.72 लाख), चंबा (15 मामले: ₹ 26.22 लाख), मंडी (98 मामले: ₹ 1.87 करोड़), नाहन (चार मामले: ₹ 6.48 लाख), रिकांग पियो (नौ) मामले: ₹ 15.81 लाख), शिमला (23 मामले: 50.41 लाख), सोलन (50 मामले: ₹ 98.68 लाख) व ऊना (13 मामले: ₹ 57.00 लाख)

2018-19: बदी (पांच मामले: ₹ 51.11 लाख), चंबा (छह मामले: ₹ 10.60 लाख), हमीरपुर (28 मामले: ₹ 13.92 लाख), कांगड़ा में धर्मशाला (29 मामले: ₹ 66.85 लाख), कुल्लू (दो मामले): ₹ 2.16 लाख), नाहन (10 मामले: ₹ 80.25 लाख), कांगड़ा में नूरपुर (चार मामले: ₹ 3.91 लाख), शिमला (23 मामले: ₹ 70.45 लाख) व सोलन (12 मामले: ₹ 78.20 लाख)

² उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित मदों की सूची, जिन पर दो प्रतिशत सीएसटी लगेगा।

³ बदी, नाहन, नूरपुर (कांगड़ा) और सोलन।

प्रतिशत का केन्द्रीय बिक्री कर लगना चाहिए था। ₹ 565.82 करोड़ मूल्य की इन निषेधात्मक सूची की मदों पर, निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 11.32 करोड़ के दो प्रतिशत के उदग्रहण योग्य कर के स्थान पर डेढ़ प्रतिशत की दर पर ₹ 8.49 करोड़ का कर का उदग्रहण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.83 करोड़⁴ के कर का अल्प उदग्रहण हुआ।

मामला सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2021); सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में नोटिस जारी किये गये तथा एक मामले में ₹ 1.24 लाख की वसूली की गई थी।

सरकार मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के लिए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र निर्मित करने पर विचार करें।

2.5 सांविधिक फार्मों के बिना रियायत प्रदान करना

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य एवं दोषपूर्ण सांविधिक फार्म की स्वीकृति तथा अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर की छूट के परिणामस्वरूप ₹ 2.38 करोड़ का अल्प उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.36 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 में अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री के मामले में नियत फार्मों को प्रस्तुत करने पर निश्चित कर छूट प्रदान करने का प्रावधान है। ये फार्म तीन भागों अर्थात् मूल, प्रतिलिपि तथा प्रतिवर्ण में जारी किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय⁵ द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि कर की रियायती दर का दावा करने के लिए जारी करने की तिथि, लेन-देन का विवरण, बेचने एवं खरीदने वाले व्यापारियों का नाम, फॉर्म का मूल्य एवं अवधि जिससे ये फॉर्म संबंधित हैं आदि जैसे पूर्ण विवरण मूल फार्मों में सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

फॉर्म 'सी'

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 निर्धारित करती है कि अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, व्यापारी को कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए क्रेता से प्राप्त फॉर्म 'सी' प्रस्तुत करना होगा अन्यथा पूरी दर पर कर का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, एक एकल फॉर्म 'सी' केवल एक तिमाही के लेन-देन को शामिल करने के लिए होता है।

2019-20 में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि राज्य कर एवं आबकारी के चार जिला आयुक्तों⁶ में, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि 2009-10 से 2016-17 के लिए ₹ 46.06 करोड़ के सकल टर्न ओवर वाले छः व्यापारियों के कर निर्धारण (17 अगस्त से 19 फरवरी के मध्य) को अंतिम रूप देते हुए अमान्य फार्म 'सी' के आधार पर ₹ 2.75 करोड़ की बिक्री पर रियायती दर की अनुमति दी।

⁴ बदाई: ₹ 2.21 करोड़; नाहन: ₹ 0.13 करोड़; नूरपुर (कांगड़ा): ₹ 0.22 करोड़ और सोलन ₹ 0.27 करोड़।

⁵ आयुक्त बिक्री कर बनाम मेसर्स प्रभु दयाल प्रेम नारायण (1988) 71 एसटीसी (एससी) और दिल्ली ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त (1997) 104 एसटीसी 75 (एससी)।

⁶ आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी: नाहन (एक मामला: ₹ 16.85 लाख), नूरपुर (तीन मामले: ₹ 5.29 लाख), शिमला (तीन मामले: ₹ 1.34 लाख) और सोलन (एक मामला: ₹ 2.84 लाख)

ये फार्म या तो प्रासंगिक अवधि से संबंधित नहीं थे, या एक तिमाही से अधिक के लेन-देन को एक ही फार्म में शामिल किया गया था। इन फार्म को निर्धारण के समय अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। इसके बजाय, निर्धारण प्राधिकारी ने इन अयोग्य फॉर्म 'सी' के आधार पर ₹ 2.75 करोड़ की बिक्री पर डेढ़ प्रतिशत या दो प्रतिशत की रियायती दर पर ₹ 4.58 लाख का कर लगाया, जबकि चार, पांच एवं 13.75 प्रतिशत की दर से ₹ 30.90 लाख का कर उदग्रहित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.31 लाख के कर का अल्प उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 22.52 लाख का ब्याज उदग्रहित किया जाना भी अपेक्षित था।

फॉर्म 'एफ'

केंद्रीय बिक्री कर नियमावली 1957, के साथ पठित, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8, में प्रावधान है, कि शाखा हस्तांतरण / खेप की बिक्री की स्थिति में पंजीकृत व्यापारी को कर में छूट दी जाएगी, बशर्ते ये घोषणा फॉर्म 'एफ' द्वारा समर्थित हों। इसके अतिरिक्त, एक एकल फॉर्म 'एफ' केवल एक कैलेंडर माह के लेन-देन को शामिल करने के लिए होता है।

दो उपायुक्त⁷ राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की संवीक्षा (2019-20) से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने कर अवधि 2009-10 से 2017-18 के लिए छः व्यापारियों, जिनका सकल टर्नओवर ₹ 236.97 करोड़ था, के निर्धारण (मई 2018 से नवंबर 2018 के मध्य) को अंतिम रूप देते समय फॉर्म 'एफ' में दी गई घोषणा के आधार पर ₹12.65 करोड़ के स्टॉक स्थानांतरण पर ₹ 62.99 लाख की कर की छूट अनुमत की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण के समय इन फॉर्म 'एफ' को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि एक एकल फॉर्म में एक से अधिक कैलेंडर माह के लेन-देनों को शामिल किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.99 लाख के कर का उदग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 66.96 लाख के ब्याज का उदग्रहण भी अपेक्षित था।

फॉर्म 'एच'

केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण व टर्नओवर) नियमावली, 1957 के नियम 12(10) के साथ पठित केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 5 के तहत, यदि व्यापारी भारतीय भूखण्ड से बाहर वस्तुओं के निर्यात करने पर उन वस्तुओं के निर्यात के प्रमाण के साथ विधिवत् रूप से भरा एवं निर्यातक द्वारा हस्ताक्षरित फार्म 'एच' जमा करता है, तो उसे कर का भुगतान नहीं करना होगा।

2019-20 में दो उपायुक्त⁸ राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कर अवधि 2012-13 से 2014-15 के लिए दो व्यापारी जिनका सकल टर्नओवर ₹65.65 करोड़ था, के निर्धारणों को अंतिम रूप (जून 2018 एवं फरवरी 2019 के मध्य) देते समय, निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 28.64 करोड़ के स्टॉक के निर्यात पर ₹ 1.43 करोड़ के कर की छूट अनुमत की। एक मामले में कोई फार्म 'एच' नहीं मिला एवं तीन मामलों में फाइल में निर्यात के सबूत के रूप में लदान पत्र (बिल ऑफ लैडिंग) नहीं मिला। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ के कर का उदग्रहण नहीं हुआ। साथ ही, ₹ 1.42 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

⁷ आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बड़ी (चार मामले: ₹ 46.98 लाख) व सोलन (तीन मामले: ₹ 16.01 लाख)

⁸ आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बड़ी (एक मामला: ₹ 0.04 करोड़) और शिमला (तीन मामले: ₹ 1.39 करोड़)

फॉर्म 'डी'

केंद्रीय बिक्री कर नियमावली 1970 के नियम 6 (21) (ए) के तहत, एक व्यापारी को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 (1) (ए) के तहत सरकार को की गई बिक्री के लिए फॉर्म 'डी' जमा करना होता है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची "ए" भाग II के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार को की गई ऐसी वस्तुओं की बिक्री, पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाएगा बशर्ते प्रमाण-पत्र फॉर्म-'डी' में प्रस्तुत किया गया हो।

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा (2019-20) में पाया गया कि एक व्यापारी जिसका सकल कारोबार कर अवधि 2012-13 से 2017-18 में ₹ 4.38 करोड़ था, के निर्धारण (जून 2018) को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण प्राधिकारी ने घोषणा फॉर्म 'डी' के बिना सरकारी बिक्री राशि ₹ 65.46 लाख पर ₹ 5.72 लाख की कर की छूट अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.72 लाख के कर का उदग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 19 (2) के तहत ₹ 5.16 लाख का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अमान्य एवं दोषपूर्ण सांविधिक फार्मों को अस्वीकार करने में विफलता ₹ 2.38 करोड़ के कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 2.36 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहणयोग्य था।

मामला जून 2021 में सरकार को सूचित किया गया था; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये थे तथा आठ मामलों में ₹ 1.35 लाख की वसूली की गई थी।

सरकार विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करें कि व्यापारियों के किसी भी निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, रियायती दरों की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यापारियों ने संबंधित अनिवार्य फॉर्म जमा कर दिए हैं एवं अधिसूचना में दी गई शर्तों को पूरा कर लिया है।

2.6 टर्नओवर का गलत निर्धारण

निर्धारण अधिकारियों ने वास्तविक टर्नओवर से सकल टर्नओवर का कम आंकलन किया जैसा कि व्यापारियों के प्रमाणित लेखाओं में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 (V) (zd) के अनुसार, "टर्नओवर" का तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्री, खरीद एवं बिक्री एवं खरीद के किसी भाग तथा वस्तुओं वितरण के पूर्व या वितरण के समय व्यापारी द्वारा लगाया गया भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा जो भी किया गया हो के कुल प्रभार को जोड़ कर बनी सकल राशि से है। इसके अतिरिक्त, धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक महीने की अवधि के लिए देय कर पर एक प्रतिशत की दर से एवं उसके बाद, बकाया/चूक जारी रहने तक प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

छ: उपायुक्त⁹ राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2019 से मार्च 2020 के बीच) से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2010-11 से 2016-17 के 11 मामलों के निर्धारण (2018-19) को अंतिम रूप देते समय ₹ 343.27 करोड़ का कम सकल टर्नओवर निर्धारित किया जैसा कि निर्धारिती द्वारा उनके रिटर्न में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि प्रस्तुत प्रमाणित लेखाओं या व्यापारियों/ठेकेदारों के फॉर्म STXI-B¹⁰ के अनुसार, इसके बजाय ₹ 371.27 करोड़ के सकल टर्न ओवर का निर्धारण किया जाना चाहिए था। तथापि, निर्धारण के लिए कम सकल टर्नओवर लेने का कोई स्पष्टीकरण निर्धारण आदेशों में नहीं पाया गया। इस प्रकार, ₹ 28 करोड़ के सकल टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ जिसके कारण ₹ 1.40 करोड़ (न्यूनतम 5 प्रतिशत की दर पर परिकलित) कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, सकल टर्नओवर की गलत रिपोर्टिंग एवं इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों द्वारा कर के भुगतान में चूक के कारण धारा 19 के तहत ₹ 1.75 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जून 2021); सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यवसायियों को नोटिस जारी किये गये थे एवं तीन मामलों में ₹ 2.76 लाख की वसूली की गई थी।

सरकार टर्नओवर की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने एवं व्यापारियों के प्रमाणित लेखाओं के साथ वार्षिक कर रिटर्न की प्रति-जांच करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार करें एवं सरकारी राजस्व की हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.7 ठेकेदारों के मामलों में मजदूरी प्रभारों की अमान्य कटौती एवं अधिक कटौती अनुमत करना

मजदूरी प्रभारों के प्रति अमान्य कटौती एवं अधिक कटौती अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। साथ ही ₹ 1.41 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम (17) (4) (ए) में प्रावधान है कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में सम्मिलित सामग्री का मूल्य सम्पूर्ण कार्य अनुबंध के मूल्य में से श्रम एवं सेवाओं के लिए किए गए भुगतान, श्रमिकों के लिए उप-ठेकेदार को किया गया भुगतान, योजना बनाने के लिए प्रभार, डिजाइनिंग एवं वास्तुकार (आर्किटेक्ट) फीस, मशीनरी एवं उपकरण का किराया, पानी, बिजली एवं ईंधन जैसे उपभोग्य सामग्रियों की लागत, ठेकेदार की स्थापना की लागत एवं ठेकेदार द्वारा श्रम एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अर्जित लाभ जैसा कि इसमें विनिर्दिष्ट है, के घटकों को घटाकर किया जायेगा। नियम 69(2) में प्रावधान है कि जहां विनिर्माण कार्य के ठेकेदारों के लेखाओं से मजदूरी प्रभार निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या अनुबंध की प्रकृति को देखते हुए यह अनुचित रूप से अधिक

⁹ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त-बढ़ी: तीन मामले, ₹ 26.03 लाख; कांगड़ा: दो मामले, ₹ 3.35 लाख; नूरपुर: एक मामला, ₹ 66.82 लाख; शिमला: दो मामले, ₹ 1.34 लाख; नाहन में सिरमौर: एक मामला, ₹ 2.11 लाख; और सोलन: दो मामले, ₹ 40.37 लाख।

¹⁰ कार्य प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा कार्य ठेकेदारों को उनके टीडीएस (कार्य अनुबंध कर) को प्रमाणित करने के लिए दिया जाता है।

प्रतीत होता है, निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रभार की कटौती की अनुमति उक्त नियमों में उस प्रकार के अनुबंध के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार दी जाएगी। इसके आगे, हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक माह की अवधि हेतु देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

I. अमान्य कटौतियां -

2019-20 में चार¹¹ उपायुक्त राज्य एवं कर आबकारी के अभिलेखों की जांच से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने 2005-06 से 2017-18 तक की कर अवधि के लिए 20 कार्य ठेकेदारों के निर्धारण (2018-19) को अंतिम रूप देते हुए ₹ 19.03 करोड़ की विविध कटौतियां¹² अनुमत की थी। उक्त नियम 17(4) सकल टर्नओवर निर्धारित करने में एक विनिर्माण ठेकेदार को दी जाने वाली कटौती को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करता है। हालांकि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनुमत कटौती नियम 17 (4) के तहत अस्वीकार्य थी। निर्धारण आदेशों में नियमों के उल्लंघन करते हुए ऐसी कटौतियों की अनुमति देने के कारण नहीं पाए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.17¹³ करोड़ से कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, अमान्य कटौतियां एवं उसके कारण व्यापारियों द्वारा देय कर के भुगतान में चूक के कारण ₹ 1.34 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

II. मजदूरी प्रभारों के प्रति अधिक कटौती

उपायुक्त राज्य एवं कर आबकारी शिमला के अभिलेखों की जांच से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2008-09 से 2017-18 के लिए चार व्यापारियों के निर्धारण (2018-19) को अंतिम रूप देते समय ₹ 12.62 करोड़ के मजदूरी प्रभारों की अधिक कटौती की अनुमति दी, जबकि प्रमाणित लेखाओं के अनुसार इन व्यापारियों के मजदूरी प्रभार केवल ₹10.92 करोड़ थे। ₹ 1.70 करोड़ के इस अंतर के परिणामस्वरूप ₹ 16.49 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। साथ ही ₹ 7.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

इस प्रकार, अमान्य कटौतियों की अनुमति एवं मजदूरी प्रभारों के गैर-सत्यापन के परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ (₹ 1.17 करोड़ + ₹ 16.49 लाख) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

ये इंगित किए जाने पर मामले उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी (कुल्लू, शिमला एवं ऊना) ने सूचित किया कि नियम/अधिनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी (कुल्लू) ने नौ मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया एवं आश्वासन दिया कि पुनर्निर्धारण के बाद अनुपालन की सूचना लेखापरीक्षा को दी जाएगी।

¹¹ कुल्लू, मंडी, शिमला और ऊना।

¹² डब्ल्यूसीटी पर प्रशासनिक शुल्क, वाहन चलाने और रखरखाव शुल्क, राज्य में खरीदी गई सामग्री, वैट के साथ रॉयल्टी, मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, यात्रा व्यय, श्रम उपकरण आदि पर टीडीएस।

¹³ उद्ग्रहण योग्य कर = अमान्य कटौती x कर की दर (न्यूनतम) कुल्लू: छह मामलों, ₹ 4.17 लाख; मंडी : चार मामलों, ₹17.05 लाख; शिमला : 46 मामलों, ₹ 85.76 लाख; ऊना: 10 मामलों, ₹10.58 लाख।

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी (मंडी) ने उत्तर दिया कि चार मामलों में, हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 6 के तहत सकल टर्नओवर से स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) काटी गई थी एवं इसके अतिरिक्त सकल टर्नओवर से कटौती के संबंध में मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में निर्णय का हवाला दिया। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी मण्डी का उत्तर प्रासंगिक नहीं था क्योंकि सकल टर्नओवर पर सभी स्वीकार्य कटौतियां हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के नियम 17(4) में विनिर्दिष्ट हैं एवं इसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की अनुमति का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, लार्सन एंड टुब्रो प्रकरण फ्लैटों की बिक्री पर कर से संबंधित है एवं इसमें सकल टर्नओवर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए किसी भी कटौती का उल्लेख नहीं है।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (अगस्त 2019 से जून 2020 के बीच); सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये तथा पांच मामलों में ₹ 7.84 लाख की वसूली की गई।

सरकार व्यापारियों के निर्धारणों की सावधानीपूर्वक जांच करने एवं मजदूरी प्रभारों की अमान्य कटौती व अधिक अनुमति को रोकने के लिए विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करें पर विचार करें।

2.8 शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अमान्य अनुमति

शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता ₹ 87.03 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य अनुमति के रूप में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.24 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11(4) में प्रावधान है कि उप-धारा में कुछ भी निहित होते हुए भी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति केवल उस सीमा तक दी जाएगी, जहां तक अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री के माध्यम के अतिरिक्त राज्य से बाहर भेजे गए माल की खरीद पर राज्य में भुगतान किये गए कर की इनपुट कर राशि चार प्रतिशत से अधिक हो। धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा एवं उसके बाद बकाया जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा।

पांच उपायुक्त¹⁴ राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (2017-19) से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2006-07 से 2016-17 के लिए 11 व्यापारियों के निर्धारणों (जुलाई 2017 एवं मई 2019 के मध्य) को अंतिम रूप देते समय शाखा हस्तांतरण के रूप में भेजे गए माल पर ₹ 3.68 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जबकि उक्त धारा 11(4) के अनुसार, निर्धारण प्राधिकारियों से शाखा द्वारा हस्तांतरित माल में शामिल इनपुट टैक्स क्रेडिट के चार प्रतिशत को अस्वीकार करना अपेक्षित था। स्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 2.81 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप

¹⁴ बदी, नाहन, नूरपुर (काँगड़ा), सोलन एवं ऊना

इनपुट टैक्स क्रेडिट के ₹ 0.87 करोड़ का अधिक लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति के परिणामस्वरूप कर के अवनिर्धारण के कारण, अधिनियम की धारा 19 के तहत ₹ 1.24 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

मामला मार्च 2021 में सरकार को सूचित किया गया था; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये थे तथा दो मामलों में ₹ 5.39 लाख की वसूली की गई थी।

विभाग इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन करते समय अयोग्य मदों पर उचित ध्यान देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करें।

2.9 कर की अतिरिक्त मांग पर ब्याज का अल्प/अनुद्ग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने सृजित अतिरिक्त मांग पर उद्ग्रहणीय ₹ 72.02 ब्याज के बजाय ₹ 17.38 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 54.64 लाख का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा एवं उसके बाद बकाया जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा।

दो उपायुक्त¹⁵ राज्य कर एवं आबकारी के अभिलेखों की जांच (मई 2019 से दिसंबर 2019 के बीच) से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने 2009-10 से 2016-17 की कर अवधि के लिए 15 व्यापारियों के निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 84.02 लाख की अतिरिक्त कर की मांग की। निर्धारण प्राधिकारियों ने 14 से 98 महीनों की अवधि के लिए अर्थात् निर्धारण की तिथि तक ₹ 72.02 लाख के उद्ग्रहणीय ब्याज के प्रति 12 से 35 महीने की अवधि के लिए ₹ 17.38 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि विभाग ने चार मामलों में ब्याज नहीं लगाया। इस प्रकार, ₹ 54.64 लाख¹⁶ (₹ 72.02 लाख - ₹ 17.38 लाख) के ब्याज का अल्प/अनुद्ग्रहण हुआ।

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण आदेशों में ब्याज के अल्प/अनुद्ग्रहण के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने 2011-12 से निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी प्रकार की कमियों को इंगित किया है, तथापि विभाग ने निर्धारणों की नमूना-जांच करने की कोई कार्रवाई नहीं की, जो राजस्व हानि की सुरक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये तथा तीन मामलों में ₹ 16.27 लाख की वसूली की गई।

¹⁵ आयुक्त राज्य कर एवं बंदी एवं नाहन

¹⁶ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बंदी: ₹ 11.06 लाख और नाहन में सिरमौर: ₹ 43.58 लाख।

सरकार विभाग को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने एवं किसी भी निर्धारण को अंतिम रूप देने से पहले उचित जांच करने व दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करें।

2.10 बिक्री तथा स्टॉक को छिपाना

वार्षिक रिटर्न में ₹ 4.55 करोड़ की बिक्री एवं अंत स्टॉक को कम करके दिखाने से ₹32.82 लाख के कर का अपवंचन हुआ। परिणामस्वरूप अपवंचित कर पर ₹ 25.89 लाख का ब्याज एवं ₹ 32.82 लाख की शास्ति भी देय रही।

हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 (8) में प्रावधान है कि यदि किसी व्यापारी ने अपनी बिक्री, खरीद या माल के स्टॉक को छिपाने के उद्देश्य से झूठे या गलत लेखे बनाए हैं या किसी भी प्रकार से झूठा या गलत रिटर्न प्रस्तुत किया है, तो वह देय कर की दोगुनी राशि तक शास्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा जो कि देय कर राशि के 100 प्रतिशत से कम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 6(1)(ए) की अनुसूची ए के अनुसार, स्ट्रेप की बिक्री पर कर पांच प्रतिशत की दर से देय है।

मई 2019 से फरवरी 2020 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि :

i. राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क के तीन उपायुक्त¹⁷ राज्य कर एवं आबकारी में, ₹ 794.93 करोड़ के संचयी सकल टर्नओवर वाले 12 व्यापारियों ने 2010-11 से 2016-17 के बीच प्रस्तुत 18 वार्षिक रिटर्न में ₹ 2.98 करोड़ की बिक्री का प्रकटीकरण नहीं किया था, जिन्हें उनके व्यापार, लाभ एवं हानि लेखाओं में संपत्ति (वाहन, संयंत्र एवं मशीनरी) की बिक्री के रूप में अन्यथा दर्शाया गया था। इस बिक्री पर हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची 'ए' के तहत न्यूनतम पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, ₹ 14.88¹⁸ लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ था। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत ₹ 16.51 लाख का ब्याज, एवं धारा 16 (8) के तहत ₹ 14.88 लाख की शास्ति भी उद्ग्रहण योग्य थी।

ii. दो उपायुक्त¹⁹, राज्य कर एवं आबकारी में, 2013-14 से 2016-17 के मध्य कर वर्षों में ₹ 20.51 करोड़ के संचयी सकल टर्नओवर वाले दो व्यापारियों ने अपने संबंधित वार्षिक रिटर्न में ₹ 98.89 लाख का प्रारंभिक स्टॉक घोषित किया था, लेकिन उनके तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के प्रमाणित लेखाओं में ₹ 2.56 करोड़ का अंत स्टॉक था। कर अवधि के दौरान उनके अंत एवं आरंभिक स्टॉक में कुल ₹ 1.57 करोड़ का अंतर था, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 16(8) के तहत माल के स्टॉक को छिपाने के समान था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के समय इन विवरणों की जांच करना अपेक्षित था क्योंकि सभी अभिलेख उपलब्ध थे। छिपाए गये सकल टर्नओवर पर प्रयोज्य न्यूनतम कर की दर लागू करने पर ₹ 17.94 लाख²⁰ मूल्य के कर का अवनिर्धारण पाया गया। इसके अतिरिक्त, उक्त

¹⁷ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बड़ी, नाहन और शिमला।

¹⁸ बड़ी: आठ मामले, 9.94 लाख; नाहन: चार मामले, ₹ 4.00 लाख और शिमला: छः मामले, ₹ 0.94 लाख।

¹⁹ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: मंडी, शिमला।

²⁰ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: मंडी: एक मामला, ₹ 17.83 लाख एवं शिमला: एक मामला, ₹ 0.11 लाख।

अधिनियम की धारा 19 के तहत ₹ 9.38 लाख का ब्याज, एवं उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 (8) के तहत ₹ 17.94 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उदग्रहण योग्य थी।

इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्धारण में ₹ 4.55 करोड़ (₹ 2.98 करोड़ + ₹ 1.57 करोड़) मूल्य की बिक्री एवं स्टॉक को छुपाने को पहचानने में उचित सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप व्यापारियों को अनुचित लाभ हुआ एवं ₹ 32.82 लाख (₹ 14.88 लाख + ₹ 17.94 लाख) के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, धारा 16(8) के तहत ₹ 32.82 लाख (₹ 14.88 लाख + ₹ 17.94 लाख) की शास्ति एवं धारा 19 के तहत ₹ 25.89 लाख (₹ 16.51 लाख + ₹ 9.38 लाख) का ब्याज तब से अपवंचित कर पर देय हो गया है।

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान कर एवं ब्याज की गणना के लिए व्यापारियों के टैक्स रिटर्न के साथ प्रमाणित लेखाओं की प्रति-जांच नहीं की, जबकि विभाग के पास सभी अभिलेख उपलब्ध थे। विगत दो वर्षों के राज्य राजस्व पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस मुद्दे/विषय को चिह्नंकित किया गया है, अतः इस स्थिति का बने रहना इसकी जानबूझकर अवहेलना को दर्शाता है।

यह मामला जनवरी 2021 में सरकार को सूचित किया गया था; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये गये सभी मामलों में व्यापारियों को नोटिस जारी किये गये थे।

सरकार मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के लिए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाने पर विचार करें।

अध्याय-III
राज्य आबकारी

अध्याय-III

राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर तथा आबकारी का प्रशासन करता है। आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख होता है तथा तीन अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, दो संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी व पांच उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी उसे सहयोग देते हैं। क्षेत्र में जिला स्तर पर 12 उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी हैं, जिन्हें 119 सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी द्वारा सहयोग दिया जाता है इसके अतिरिक्त विभाग की सभी गतिविधियों को तथा संगत कर कानूनों व नियमों को प्रशासनित करने हेतु अन्य सम्बद्ध स्टाफ को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी तथा सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी होते हैं।

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

विभाग में कुल 13 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां (उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त) थीं। इनमें से वर्ष 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा ने ₹ 1,423.72 करोड़ की प्राप्तियों से अंतर्गस्त 10 इकाइयों का चयन किया था। राज्य आबकारी विभाग से सम्बंधित कुल 1,804 मामलों में से 911 मामलों की नमूना-जांच में ₹ 313.97 करोड़ से अंतर्गस्त पूर्व आसवनी मूल्य (एक्स-डिस्टिलरी प्राइस) के अविवेकपूर्ण निर्धारण/न्यूनतम गारंटीकृत कोटा के अल्प आवंटन के कारण आबकारी शुल्क के अपवंचन/राजस्व की हानि, खुदरा आबकारी शुल्क/बोतलीकरण फीस/आवेदन शुल्क/अतिरिक्त खुदरा आबकारी शुल्क/ब्याज/शास्ति की अल्प/अवसूली तथा अन्य अनियमितताएं उजागर हुईं, जैसा कि तालिका 3.1 में वर्णित हैं।

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणी	₹ करोड़ में	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क का अपवंचन /पूर्व आसवनी शुल्क (एक्स-डिस्टिलरी प्राइस) के अविवेकपूर्ण निर्धारण के कारण राजस्व की हानि/ न्यूनतम गारंटीकृत कोटा का अल्प आवंटन	12	102.80
2.	खुदरा आबकारी शुल्क /बोतलीकरण शुल्क /आवेदन फीस /अतिरिक्त खुदरा आबकारी शुल्क / ब्याज/शास्ति इत्यादि की अल्प/अवसूली	54	135.88
3.	अन्य अनियमितताएं	53	75.29
योग		119	313.97

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित सात मामलों में ₹ 82.32 लाख मूल्य के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा उसकी वसूली की।

विभाग ने 2019-20 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित 12 मामलों में ₹ 3.16 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को भी स्वीकार किया।

₹ 96.59 करोड़ की राशि से अंतर्गस्त उल्लेखनीय मामलों (पांच परिच्छेद) की अनुगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.3 न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर शास्ति एवं अतिरिक्त शास्ति का अनुद्ग्रहण

विभाग ने 765 बिक्रीकेन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 100 प्रतिशत बेंचमार्क के प्रति 19,13,244 पूफ लीटर शराब कम उठाने पर ₹ 58.50 करोड़ की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं किया। 85 प्रतिशत बेंचमार्क के प्रति कम कोटा उठाने से ₹ 2.32 करोड़ की अतिरिक्त शास्ति भी उद्ग्रहणयोग्य थी।

हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी घोषणा 2018-19 का परिच्छेद 4.3 निर्धारित करता है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को प्रत्येक बिक्री केंद्र के लिए निर्धारित किये गए देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों के न्यूनतम गारंटीकृत कोटे को उठाना अपेक्षित होगा। ऐसा न करने पर उसे न उठाए गए उस कोटे पर जो 100 प्रतिशत न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम हो गया है, खुदरा आबकारी शुल्क के बराबर शास्ति का भुगतान करना होगा। यदि न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के 85 प्रतिशत से भी कम कोटा उठता है तो लाइसेंसधारी को खुदरा आबकारी शुल्क के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करना होगा। सम्बंधित जिला प्रभारी को त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की समीक्षा तथा न उठाए गए न्यूनतम गारंटीकृत कोटे पर शास्ति साथ ही अतिरिक्त शास्ति की वसूली सुनिश्चित करनी होती है।

सात उपायुक्तराज्य कर एवं आबकारी¹ के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी के अधीनस्थ 1064 बिक्री केन्द्रों में से 765 में 1,70,25,246 पूफलीटर के निर्धारित वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के प्रति 1,51,12,002 पूफ लीटर² शराब उठाई गई जो 2018-19 के दौरान 19,13,244 पूफलीटर कम थी। इन 765 लाइसेंसधारियों पर कम कोटा उठाने के लिए ₹ 58.50 करोड़ की शास्ति अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त, उन 765 बिक्री-केन्द्रों में से 288 बिक्री-केन्द्रों ने 85 प्रतिशत बेंचमार्क से 7,31,857 पूफ लीटर कम कोटा उठाया था। इन 288 लाइसेंसधारियों पर ₹ 2.32 करोड़ की अतिरिक्त शास्ति भी उद्ग्रहण योग्य थी।

¹ बद्दी: 70 बिक्री-केंद्र ₹7.68 करोड़; काँगड़ा 152 बिक्री-केंद्र ₹0.98 करोड़; मंडी: 176 बिक्री-केंद्र ₹17.10 करोड़; सिरमौर: 39 बिक्री-केंद्र ₹9.05 करोड़; सोलन: 81 बिक्री-केंद्र ₹14.51 करोड़; शिमला: 137 बिक्री-केंद्र ₹8.13 करोड़; एवं ऊना 110 बिक्री-केंद्र ₹3.36 करोड़।

² अल्कोहल की तीव्रता को 'डिग्री पूफ' के रूप में मापा जाता है। ऐसी शराब की तीव्रता के 13 भाग जिनका वजन 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 12 भागों के पानी के बराबर होता है, को 100 डिग्री पूफ लिया जाता है। अल्कोहल के दिए गए नमूने की स्पष्ट आयतन को 100 डिग्री की तीव्रता वाले अल्कोहल के आयतन में परिवर्तित करने पर लंदन पूफ लीटर या पूफ लीटर कहा जाता है।

कम उठाया गया निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा एवं उदग्रहित शास्ति/अतिरिक्त शास्ति

शराब का प्रकार	निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	100 प्रतिशत से कम उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	प्रति प्रूफ लीटर खुदरा आबकारी शुल्क की उदग्रहण योग्य दर	शास्ति (₹ में)	85 प्रतिशत से कम उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	अतिरिक्त शास्ति (₹ में)
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6 = 4 x 5	7	8 ³
देशी शराब	91,61,051	83,73,894	7,87,157	241	18,97,04,796	2,24,783	54,07,346
भारत में निर्मित विदेशी शराब	78,64,195	67,38,108	11,26,087	351	39,52,58,134	5,07,074	1,77,83,339
योग	1,70,25,246	1,51,12,002	19,13,244	-	58,49,62,930	7,31,857	2,31,90,685

आबकारी घोषणा की अवहेलना करते हुए उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी/सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने लेखापरीक्षा द्वारा विगत छः वर्षों में ऐसी ही कामियां इंगित करने के बावजूद न्यूनतम गारंटीकृत कोटा पर कोटा उठाने की स्थिति की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा नहीं की थी। इस प्रकार, सरकारी नियमों को कठोरता से लागू करने में उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी/सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी की विफलता ₹ 60.82 करोड़ (₹ 58.50 करोड़ + ₹ 2.32 करोड़) की शास्ति व अतिरिक्त शास्ति की अवसूली में परिणत हुई।

जनवरी 2021 में मामला सरकार को सूचित किया गया; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि चार उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी द्वारा ₹ 25.08 करोड़ की वसूली की गई थी।

विभाग इस सम्बन्ध में बारम्बार विफलता के लिए जवाबदारी तय करें तथा उपर्युक्त आपत्तियों के अलोक में देय लाइसेंस फीस की राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए शेष बिक्री-केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करें।

3.4 खुदरा आबकारी शुल्क की अल्प वसूली

सक्षम प्राधिकारी ने 36 लाइसेंसधारियों से ₹ 31.27 करोड़ की कम जमा लाइसेंस फीस की वसूली हेतु न तो बिक्री-केंद्र सील करने की न ही परमिट निरस्त/निलंबित करने की कोई कार्रवाई की।

³ देशी शराब हेतु फार्मूला 85 प्रतिशत कम उठाई गई मात्रा x ₹241x0.1, भारत निर्मित विदेशी शराब हेतु फार्मूला: 85 प्रतिशत कम उठाई गई मात्रा x ₹351x0.1

हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी घोषणा 2018-19 के अनुसार किसी विशेष बिक्री-केंद्र द्वारा चुकाया जाने वाला खुदरा आबकारी शुल्क प्रत्येक बिक्री-केंद्र हेतु पूरे वर्ष के लिए नियत शराब के न्यूनतम गारंटीकृत कोटा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित शुल्क 12 मासिक किस्तों में लगाया जाएगा जिसका भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम दिन तक करना होगा तथा मार्च माह की अंतिम किस्त का भुगतान 15 मार्च तक पूर्ण रूप से करना होगा। यदि लाइसेंसधारी खुदरा आबकारी शुल्क का आगामी माह की अन्तिम तिथि तक अथवा अंतिम किस्त 15 मार्च तक भुगतान करने में विफल होता है तो जिले का प्रभारी उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी यथास्थिति अनुवर्ती माह के प्रथम दिवस या 16 मार्च तक साधारण रूप से बिक्री-केंद्र को बंद कर सकता है। दोषी आवंटिती सरकार को हुई राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु जिम्मेदार होगा तथा इसे उससे भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूला जाएगा।

2019-20 के दौरान आठ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी⁴ की एम-2 पंजिकाओं⁵ (रजिस्टर) की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में 36 लाइसेंसधारियों से खुदरा आबकारी शुल्क के बकाया ₹ 98.53 करोड़ के प्रति विभाग मात्र ₹ 67.26 करोड़ खुदरा आबकारी शुल्क की वसूली कर सका। किसी भी उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने दोषी लाइसेंसधारियों के परमिट रद्द/निलंबित करने या बिक्री-केन्द्रों को बंद करने के लिए कदम नहीं उठाया। केवल उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सोलन ने सात लाइसेंसधारियों पर भू-राजस्व बकाया के रूप में ₹ 10.12 करोड़ घोषित किये थे। इस प्रकार, नियमों के अनुपालन में विफलता ₹ 31.27 करोड़ के खुदरा आबकारी शुल्क की अल्प वसूली में परिणत हुई।

जनवरी 2021 में मामला सरकार को सूचित किया गया था; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि 36 लाइसेंसधारियों से ₹ 7.87 करोड़ की वसूली की गई तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकार उसके राजस्व की रक्षा हेतु मासिक आधार पर लाइसेंसधारियों से वसूलियों की आवधिक समीक्षा के लिए तंत्र स्थापित करें तथा अधिनियम/नियम के निर्धारित प्रावधानों की अनुपालना न करने पर जवाबदारी तय करें।

3.5 कोषागार चालानों का सत्यापन न करना

चालानों का सरकारी खातों में कोषागार रसीदों अर्थात् ई-कोष वेबसाइट के साथ मिलान करने में विफलता तथा फर्जी चालान स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ के सरकारी राजस्व की हानि हुई।

⁴ बढी: एक इकाई: ₹ 6.97 करोड़, चम्बा: एक इकाई: ₹ 0.60 करोड़, कांगड़ा: दो इकाई: ₹ 0.23 करोड़, कुल्लू: दो इकाई: ₹ 1.03 करोड़, मंडी: दो इकाई: ₹ 0.90 करोड़, सिरमौर नाहन में: दो इकाई: ₹ 8.37 करोड़, सोलन: 17 इकाई: ₹ 12.07 करोड़ तथा ऊना: नौ इकाई: ₹ 1.91 करोड़

⁵ माह के दौरान भारत निर्मित विदेशी शराब व देशी शराब सहित विदेशी स्पिरिट की मात्रा, देय एवं प्राप्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस की राशि को दर्शाने वाला एक रजिस्टर।

खुदरा लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं से कोटा उठाने के लिए खुदरा आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस शीर्ष 0039-राज्य आबकारी शुल्क के अंतर्गत सीधे बैंक में जमा करता है। आबकारी विभाग को जमा की गई राशि के चालान प्रस्तुत करने पर आबकारी एवं कराधान इंस्पेक्टर शराब उठाने के लिए परमिट जारी करता है। लाइसेंसधारियों द्वारा जमा ऐसे सभी चालानों की प्रविष्टि निर्धारित रजिस्टर में की जाती हैं, जिसे एम-2 रजिस्टर⁶ कहते हैं। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम संस्करण-1, 1971 के नियम 2.2 (V) में निर्धारित है कि जब सरकारी धन कोषागार में जमा हो, कार्यालयाध्यक्ष को एम-2 रजिस्टर की प्रविष्टियों के साथ कोषागार में जमा ऐसी राशि की तुलना करनी होगी तथा खुद को आश्वस्त करना होगा कि राशि सफलतापूर्वक सरकारी खाते में जमा की गई है। उसे पिछले महीने के दौरान किए गए सभी प्रेषणों के लिए हर महीने 15 तारीख तक कोषागार से एक समेकित विवरण (टीए -2) प्राप्त करना होगी, जिसकी तुलना एम-2 रजिस्टर में दर्ज की गई राशि से की जाए। यह प्रावधान अन्य बातों के साथ झूठे/फर्जी चालानों का पता लगाने, वर्गीकरण की सत्यता की जाँच इत्यादि के लिए बनाए गए हैं। कोषागार कार्य के कम्प्यूटरीकरण के उपरांत चालान हिमाचल प्रदेश सरकार के पोर्टल ई-कोष⁷ के माध्यम से सत्यापित किये जा सकते हैं।

जुलाई 2019 में उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उना के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2018-19 में ₹ 107.30 करोड़ की वसूली होना बताया गया था परन्तु विभाग द्वारा कोषागार से मिलान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा कोषागार के अभिलेखों अर्थात् ई-कोष के साथ प्राप्तियों का प्रति सत्यापन करने पर यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 में दो लाइसेंसधारियों ने उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी को ₹ 35.64 लाख की लागत की 55 रसीदे/चालान जमा किये थे तथा उनकी प्रविष्टि एम-2 रजिस्टर में की गयी थी, परन्तु वे कोषागार अभिलेखों में नहीं पाए गए। इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2019) उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने लाइसेंसधारियों द्वारा जमा की गई सभी रसीदों/चालानों का कोषागार के अभिलेखों से प्रति सत्यापन किया (जुलाई 2019 से सितम्बर 2019 के मध्य) एवं पाया कि उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी को दो लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किये गए ₹ 2.72 करोड़ राशि से अंतर्ग्रस्त सभी 291 रसीदे/चालान फर्जी थे। विभाग ने पुलिस स्टेशन राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उना में एक प्राथमिकी (सितंबर 2019) दर्ज की एवं ₹ 29.30 लाख की राशि वसूल की (फरवरी 2020)। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2019 में एक लाइसेंसधारी द्वारा ₹ 87.24 करोड़ के 10 चेक जमा किये गए थे तथा जब उन्हें बैंक में प्रस्तुत किया गया (28-29 अगस्त 2019) बैंक ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया (29-30 अगस्त 2019)। विभाग ने बताया कि लाइसेंसधारी के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू की गई तथा मामला माननीय जिला न्यायालय उना के समक्ष लंबित है।

⁶ एम-2 रजिस्टर: प्रत्येक जिला मुख्यालय द्वारा बनाया जाने वाला वह रजिस्टर, जिसमें लाइसेंसधारियों द्वारा चुकाई गई व देय वार्षिक, मासिक लाइसेंस फीस दर्शाई जाती है।

⁷ ई-कोष: हिमाचल प्रदेश सरकार की वह वेबसाइट, जिसमें प्रत्येक विभाग द्वारा सरकारी खाते में जमा की गई सभी प्राप्तियां दर्शाई जाती हैं।

यदि विभाग ने निर्धारित नियमानुसार लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किये गए रसीदों/चालानों का कोषागार अभिलेखों के साथ मिलान किया होता तो ऐसी अनियमितताओं का पता प्रारंभिक स्तर पर लग जाता।

इसके अतिरिक्त, छः उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी⁸ के 2014-15 से 2018-19 के अभिलेखों की नमूना-जांच (जुलाई 2019 से मार्च 2020 के मध्य) में पाया गया कि इन उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने भी एम-2 रजिस्टर में की गई प्राप्ति प्रविष्टियों का कोषागार अभिलेखों के साथ मिलान नहीं किया था। इस तरह के मिलान के अभाव में, यह सत्यापित करने हेतु कोई प्रमाण नहीं था कि लाइसेंसधारियों से प्राप्त राशियों की प्रविष्टियां वास्तव में कोषागार में जमा की गई थीं एवं सरकारी खाते में क्रेडिट की गई थीं तथा यहाँ फर्जी रसीदों/चालानों को स्वीकार किये जाने का जोखिम था, जैसा कि उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, ऊना के मामले में हुआ था।

इस सन्दर्भ में, इस पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है कि सरकारी खाते में जमा किये गए सभी चालानों के विवरण कोषागार निदेशालय के वेब पोर्टल (ई-कोष) पर उपलब्ध होने के बावजूद मिलान नहीं किया गया।

अप्रैल 2021 में यह परिच्छेद सरकार को प्रेषित किया गया; सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2021) तथा बताया कि लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किये गए सभी चालानों का सत्यापन अब कोषागार निदेशालय के ई-कोष पोर्टल से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

सरकार धोखाधड़ी से बचने के लिए कोटा उठाने की अनुमति देने के पूर्व कोषागार अभिलेखों के साथ लाइसेंसधारियों द्वारा जमा की गई सभी रसीदों/चालानों के आवधिक मिलान से सम्बंधित नियमों का कठोरता से अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी करें।

3.6 विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुदग्रहण

विभाग द्वारा क्रमशः 282 बिक्री-केन्द्रों के लाइसेंसधारियों एवं सात बोटलीकरण संयंत्र/डिस्टिलरीयों से लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 89.70 लाख एवं बोटलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 44.55 लाख की ब्याज राशि की मांग न करने के परिणामस्वरूप इतने ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ।

राज्य सरकार की आबकारी घोषणा 2018-19 के अनुसार यदि लाइसेंसधारी माह के भीतर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा नहीं उठाता है, तो उसे माह के अंतिम दिन उस माह के खुदरा आबकारी शुल्क की पूरी किस्त चुकानी होगी एवं मार्च माह हेतु खुदरा आबकारी शुल्क का पूरा भुगतान 15 मार्च तक करना होगा। परिच्छेद 4.5(अ) में आगे प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी खुदरा आबकारी शुल्क या उसके किसी भाग की राशि का देय तिथि तक भुगतान करने में विफल होता है तो उसे एक माह तक 14 प्रतिशत की दर से तथा उसके पश्चात् एक माह की अवधि समाप्त होने की तिथि से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि लाइसेंसधारी खुदरा आबकारी शुल्क का

8 उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बड़ी, नूरपुर, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना।

अगले माह के अंतिम दिन तक अथवा अंतिम क्रिस्त का 15 मार्च तक भुगतान करने में विफल होता है, तो जिले का प्रभारी उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी यथास्थिति आगामी माह के पहले दिन अथवा 16 मार्च को सामान्य रूप से बिक्री-केंद्र सील करेगा। हिमाचल प्रदेश पर प्रयोज्य पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के नियम 9.5(6a) में प्रावधान है कि निर्धारित दरों पर बोतलीकरण फीस त्रैमासिक आधार पर अर्थात् वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के सात दिनों के भीतर चुकानी होगी। नियम 9.5(8) में आगे प्रावधान है कि देय तिथि तक बोतलीकरण फीस या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहने के मामले में बकाया की तिथि से एक माह की अवधि हेतु 12 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज तथा यदि फीस का भुगतान बकाया एक माह से आगे बढ़ता है तो जब तक बकाया जारी रहे तब तक भुगतान में बकाया की प्रारंभिक तिथि से 18 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज चुकाना होगा।

वर्ष 2018-19 हेतु चार उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी⁹ के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 536 बिक्री-केन्द्रों में से 282 बिक्री-केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने ₹ 47.01 करोड़ का खुदरा आबकारी शुल्क देय तिथि के बाद जमा किया था। दो से 196 दिनों तक का विलम्ब हुआ था। 45 मामलों में खुदरा आबकारी शुल्क जमा करने में 100 दिनों¹⁰ से अधिक का विलम्ब हुआ था। अतएव ये लाइसेंसधारी आबकारी घोषणा के परिच्छेद 4.5(अ) के तहत विलंबित भुगतान पर ₹ 89.70 लाख का ब्याज चुकाने हेतु उत्तरदायी थे।

इसी भांति, तीन उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी¹¹ के अधीन सात बोतलीकरण संयंत्र/ डिस्टिलरी ने तीन से 389 दिनों के मध्य के विलम्ब के साथ ₹ 7.17 करोड़ की बोतलीकरण फीस जमा की थी। बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर आबकारी घोषणा के परिच्छेद 4.5(अ) के तहत अपेक्षित ₹ 44.55 लाख का ब्याज नहीं लगाया गया।

इस प्रकार, वर्ष 2016 से 2019 हेतु विभाग ने ₹ 1.34 करोड़ के सकल ब्याज (खुदरा आबकारी शुल्क पर ₹ 89.70 लाख एवं बोतलीकरण फीस पर ₹ 44.55 लाख) की वसूली नहीं की थी। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी /आंकलन प्राधिकारियों ने लेखापरीक्षा में विगत पांच वर्षों में बारम्बार इंगित किये जाने के बावजूद ऐसी कमियों की समीक्षा नहीं की जो आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही एवं राजस्व की हानि को बचाने में असफलता का परिचायक है।

जनवरी 2021 में मामला सरकार को सूचित किया गया; सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि पांच उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी द्वारा ₹ 20.75 लाख की वसूली की गई थी।

सरकार उसके राजस्व की रक्षा हेतु खुदरा विक्रेताओं, डिस्टिलरियों (आसवनियों), मदिरा निर्माणशालाओं, बोतलीकरण संयंत्रों से हुई वसूलियों की आवधिक समीक्षा संचालित करने पर विचार करें।

⁹ खुदरा आबकारी शुल्क- उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बड़ी 32 बिक्री-केंद्र: ₹ 27.28 लाख, चम्बा चार बिक्री-केंद्र; ₹ 7.1 लाख, शिमला 229 बिक्री-केंद्र; ₹ 49.20 लाख व सोलन 17 बिक्री-केंद्र; ₹ 6.13 लाख

¹⁰ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बड़ी: 34 मामले; उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी चम्बा: नौ मामले; उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी शिमला: एक मामला; उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन: एक मामला

¹¹ बोतलीकरण फीस- उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी: बड़ी चार निर्माणकर्ता; ₹ 34.01 लाख, नूरपुर दो निर्माणकर्ता; ₹ 9.91 लाख व सिरमौर एक निर्माणकर्ता; ₹ 0.63 लाख

3.7 मोलासेस से स्पिरिट की कम उपज (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल)

मोलासेस से स्पिरिट की कम उपज (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) ₹ 43.95 लाख की हानि में परिणत हुई।

हिमाचल प्रदेश पर प्रयोज्य पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के नियम 9.37 में प्रावधान है कि मोलासेस (गन्ने का भूसा) के एक माउंड (ढेर) (0.373 क्विंटल) को देशी स्पिरिट के 3.5 लंदन प्रूफ लीटर गैलन (15.391 प्रूफलीटर) के बराबर माना जाए। नियम 9.101 में प्रावधान है कि यदि किसी भी डिस्टिलरी में अत्यधिक अपव्यय पाया जाता है तो वित्तीय आयुक्त अपव्यय मापदंड तय कर सकता है तथा लाइसेंसधारी तय मापदंड से अधिक अपव्यय के कारण हुई समस्त हानियों के सन्दर्भ में शुल्क का भुगतान करेगा।

दो उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी¹² के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2017-18 व 2018-19 के दौरान दो डिस्टिलरी ने स्पिरिट विनिर्माण (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) हेतु 75,747 क्विंटल मोलासेस का उपयोग किया था। नियमानुसार 31,25,528 प्रूफलीटर¹³ अपेक्षित उत्पादन के विपरीत इन डिस्टिलरियों ने मात्र 26,10,023 प्रूफलीटर स्पिरिट के वास्तविक उत्पादन की सूचना दी। इस प्रकार, आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी की आबकारी घोषणा में विनिर्दिष्ट दरों पर परिकल्पित ₹ 43.95 लाख¹⁴ के आबकारी शुल्क से अंतर्ग्रस्त 5,15,505 प्रूफलीटर स्पिरिट का कम उत्पादन किया गया, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

मोलासेस से स्पिरिट का उत्पादन

वर्ष	प्रयुक्त मोलासेस की मात्रा (क्विंटल में)	नियम 9.37 के अनुसार स्पिरिट का अपेक्षित उत्पादन (प्रूफलीटर में)	स्पिरिट का वास्तविक उत्पादन (प्रूफलीटर में)	उत्पादन में कमी (प्रूफ लीटर में)	गिरावट का प्रूफ लीटर से बल्क लीटर में रूपांतरण (बल्कलीटर ¹⁵ में)	प्रति बल्कलीटर प्रयोज्य आबकारी शुल्क की दर ¹⁶ (प्रतिशत में)	उदग्रहण योग्य आबकारी शुल्क (₹ में)
1	2	3	4	5=(3-4)	6= (5/1.68)	7	8 (6*7)
2017-18	36,231	14,94,990	12,62,550	2,32,440	1,38,357	13.50	18,67,820
2018-19	39,516	16,30,538	13,47,473	2,83,065	1,68,491	15.00	25,27,365
योग	75,747	31,25,528	26,10,023	5,15,505	3,06,848		43,95,185

¹² उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बढी व ऊना

¹³ अल्कोहल की तीव्रता को 'डिग्री प्रूफ' के रूप में मापा जाता है। ऐसी शराब की तीव्रता के 13 भाग जिनका वजन 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 12 भागों के पानी के बराबर होता है, को 100 डिग्री प्रूफ लिया जाता है। अल्कोहल के दिए गए नमूने की स्पष्ट मात्रा को 100 डिग्री की तीव्रता वाले अल्कोहल की मात्रा में परिवर्तित करने पर लंदन प्रूफ लीटर या प्रूफ लीटर कहा जाता है।

¹⁴ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बढी: ₹ 4.40 लाख व ऊना: ₹ 39.55 लाख

¹⁵ एक बल्कलीटर = एक प्रूफलीटर/1.68; (पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932 में मोलासेस से उपज प्रूफलीटर दी गई है जबकि आबकारी घोषणा में निर्धारित आबकारी शुल्क बल्कलीटर के आधार पर दिया गया है अतः इकाई परिवर्तित करने की आवश्यकता है)।

¹⁶ आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष लाई गई आबकारी घोषणा के तहत।

यह इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि हिमाचल प्रदेश में मोलासेस की गुणवत्ता अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी नहीं हैं, जिसके कारण नियमों की तुलना में कम उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित आसवनियां बहुत पुरानी हैं तथा यह अप्रचलित तकनीक से चलाई जा रही हैं। विभाग ने आश्वासन दिया कि तीन माह में प्रारंभिक अध्ययन (पायलट स्टडी) किया जाएगा एवं उत्पादन के नियमों को संशोधित करने की संभावना की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा चूंकि 1932 में निर्धारित नियम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यथार्थवादी नहीं हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह मुद्दा 2009 एवं 2017 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी चिह्नांकित किया गया था। सरकार ने 2017 में बताया था कि पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के तहत निर्धारित उत्पादन के नियमों की अनुपालना संभव नहीं थी एवं नियमों के पुनर्निर्धारण का प्रयास किया जाएगा। तथापि विभाग ने लेखापरीक्षा की तिथि तक मोलासेस से उत्पादन के नियमों को संशोधित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया।

सरकार ने सूचित किया (मार्च 2021) कि विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं।

अध्याय-IV
स्टाम्प शुल्क

अध्याय-IV

स्टाम्प शुल्क

4.1 कर प्रशासन

राज्य सरकार सरकारी स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के माध्यम से प्रलेखों के पंजीयन पर नियंत्रण रखती है। महानिरीक्षक पंजीयन राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है जिसे क्रमशः उपायुक्तों (कलेक्टर) एवं उप-पंजीयकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उसे पंजीयन कार्य के अधीक्षण व प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। राज्य में क्रमशः 12 समाहर्ता (कलेक्टर) एवं 142 तहसीलदार/नायब तहसीलदार स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के उदग्रहण एवं संग्रहण हेतु पंजीयक एवं उप-पंजीयक के रूप में कार्यरत हैं।

4.2 लेखापरीक्षा परिणाम

विभाग में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस तथा भू-राजस्व से सम्बंधित 298 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं। इनमें से लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 147.74 करोड़ की प्राप्तियों से अंतर्ग्रस्त 115 इकाइयों का चयन किया था। राजस्व विभाग से सम्बंधित कुल 1,36,121 मामलों में से 53,765 मामलों की नमूना-जाँच में स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के अल्प/अनुदग्रहण, पट्टा-नामे पर स्टाम्प शुल्क की अल्प/अवसूली, पट्टा-विलेख की अवसूली के कारण राजस्व हानि तथा अन्य अनियमितताओं से अंतर्ग्रस्त ₹ 59.19 करोड़ के 487 मामले पाए गए जो कि निम्नवत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1

₹ करोड़ में			
0030-स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस			
क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के अल्प/अनुदग्रहण	160	17.76
2	पट्टा-विलेख पर स्टाम्प शुल्क की अल्प/अवसूली	30	5.20
3	अन्य अनियमितताएं	201	0.00
योग		391	22.96
0029- भू-राजस्व			
1	सरकारी भूमि का पट्टे पर आबंटन	1	35.44
2	पट्टा राशि की वसूली न होने से राजस्व हानि	6	0.79
3	अन्य अनियमितताएं	89	0.00
योग		96	36.23
सकल योग		487	59.19

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित 106 मामलों में राजस्व निहितार्थ युक्त ₹ 68.58 लाख एवं 2019-20 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित 22 मामलों में ₹ 11.13 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के अल्प/अनुदग्रहण, पट्टा-विलेख पर स्टाम्प शुल्क की अल्प/अवसूली, पट्टा-विलेख की अवसूली के कारण राजस्व हानि तथा अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया। पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित 106 मामलों में ₹ 68.58 लाख की राशि एवं 2019-20 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित आठ मामलों में ₹ 2.52 लाख की राशि की वसूली की गई थी।

₹ 53.20 करोड़ से अंतर्गस्त उल्लेखनीय मामलों (चार परिच्छेद) की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.3 पट्टे पर सरकारी भूमि का आवंटन

सरकारी पट्टों की प्रभावी निगरानी में राजस्व विभाग की विफलता ₹ 35.44 करोड़ के राजस्व निहितार्थ सहित विभिन्न अनियमितताओं में परिणत हुई

राजस्व विभाग विकास के उद्देश्यार्थ सरकारी भूमि पट्टे पर देता है तथा इससे पट्टा किराया, स्टाम्प शुल्क, पंजीयन फीस इत्यादि के माध्यम से राजस्व अर्जित होता है। हिमाचल प्रदेश में पट्टे पर सरकारी भूमि का आवंटन 1993, 2011 एवं 2013 में अधिसूचित/संशोधित किए गए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम द्वारा शासित होता है।

विभिन्न उद्देश्यों हेतु पट्टे पर देने के लिए उपलब्ध सरकारी भूमि के जिला-वार अभिलेख का राज्य सरकार द्वारा रखरखाव किया जाता है। पट्टा मंजूरी हेतु आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार आवेदक की पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात् आवेदक के पक्ष में पट्टा मंजूरी देती है। पट्टा मंजूरी के बाद जिले के उपायुक्त के माध्यम से पट्टा मंजूरी के छः माह के भीतर सरकार एवं आवंटती के मध्य एक पट्टा-नामा निष्पादित किया जाना चाहिए। पट्टा-नामा निष्पादित करने से पूर्व भूमि का स्वामित्व आवंटती को नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आवंटती छः माह के भीतर पट्टा-नामा निष्पादित नहीं करवाता तथा भूमि का स्वामित्व ग्रहण नहीं करता तो राज्य सरकार पट्टा निरस्त कर सकती है तथा भूमि का स्वामित्व वापस ले सकती है। हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 1993 एवं 2011 के अनुसार पट्टा किराया पट्टे पर दी गई भूमि के नवीनतम अधिकतम बाजारी मूल्य पर निर्धारित प्रतिशत पर अथवा पांच वर्षों के औसत बाजारी मूल्य का दोगुना, जो भी कम हो, पर तय किया जाए। अद्यतन हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के अनुसार पांच मेगावाट तक की क्षमता वाली उन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पट्टा राशि चालू सर्किल दरों का पांच प्रतिशत होगी, जो मूल हिमाचलियों/मूल हिमाचलियों से मिल कर बनी सहकारी सोसाइटियों हेतु विशेष रूप से आरक्षित होती है, परन्तु उसके अतिरिक्त पट्टा किराया चालू सर्किल दरों के दस प्रतिशत पर निर्धारित किया जाएगा। आवंटती को पट्टा-विलेख के निष्पादन के समय निर्धारित पट्टा किराया चुकाना होगा एवं इसे पट्टा मंजूरी पत्र में उल्लिखित नियमों व शर्तों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। पट्टा-विलेख का पट्टे की समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण अथवा अभ्यर्पण किया जाए।

2019-20 में, लेखापरीक्षा ने राज्य में 12 जिला राजस्व कार्यालयों में से छः¹ में यद्दच्छिक आधार पर 370 पट्टे-विलेख² की नमूना-लेखापरीक्षा की तथा 66³ पट्टा-विलेख में आपत्तियां पाई गईं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि पट्टा निष्पादन न होना, पट्टा-राशि की अल्प/अवसूली, पट्टा-राशि संशोधित न होना, सरकारी भूमि का अनियमित अधिग्रहण अनुमत करना, एवं सरकारी भूमि को पुनः पट्टे पर देने में विफलता आदि के कारण राजस्व विभाग पट्टा-नाम से राजस्व एवं सरकारी संसाधनों की सुरक्षा में विफल रहा।

ऊपर उल्लिखित 66 पट्टा-विलेख से सम्बंधित जांच परिणाम के विवरण अनुवर्ती परिच्छेदों में दिए गए हैं।

I पट्टा-विलेख निष्पादित न करना

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 1993 के नियम 18 एवं हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2011 व 2013 के नियम 13 के अनुसार कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर पट्टे का निष्पादन करेगा। जब तक पट्टे का निष्पादन नहीं हो जाता तब तक आवेदक को भूमि का स्वामित्व नहीं दिया जाएगा।

नमूना-जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया (2019-20) कि तीन जिला राजस्व कार्यालयों⁴ के 10 मामलों में पट्टेदारों ने पट्टे के निष्पादन के बिना भूमि का अधिग्रहण किया एवं ₹ 5.33 लाख का पट्टा किराया चुकाया परन्तु विभाग ने पट्टा-विलेख के निष्पादन हेतु कोई कदम नहीं उठाया। पट्टा-विलेख के निष्पादन के बिना पट्टे की शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता, पट्टा किराया नहीं लगाया जा सकता तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग ने छः माह की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पूर्व पट्टों का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

अतएव, जिला राजस्व कार्यालयों द्वारा पट्टा-नामों का निष्पादन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 32.28 लाख⁵ पट्टा राशि⁶ की हानि हुई। पट्टेधारियों ने पट्टा-विलेख के निष्पादन के बिना भूमि का अधिग्रहण किया, जो उक्त नियम के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, पट्टा-विलेख के निष्पादन पर उदग्रहण योग्य स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की हानि हुई थी।

II पट्टा-राशि संशोधित न करना एवं उसकी अल्प/अवसूली

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम के अनुसार, पट्टाधारी पट्टा-राशि का भुगतान सीधे बैंक में करेगा तथा चालान की प्रति सम्बंधित तहसीलदार को जमा करेगा। तहसीलदार सम्बंधित जिला कार्यालय को चालान की

1 शिमला, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर।

2 शिमला 50 विलेख, सोलन 50 विलेख, बिलासपुर 45 विलेख, कांगड़ा 150 विलेख, मंडी 40 विलेख, कुल्लू 35 विलेख।

3 शिमला 8 विलेख, सोलन 21 विलेख, मंडी 15 विलेख, कांगड़ा 10 विलेख, बिलासपुर 03 विलेख, कुल्लू 09 विलेख

4 कांगड़ा, मंडी और सोलन।

5 सात मामले @ पांच प्रतिशत; एक मामला @ 10 प्रतिशत; एक मामला @ संपत्ति के बाजार मूल्य का 18 प्रतिशत प्रति वर्ष व एक मामला @ ₹ 1 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष।

6 पट्टा-विलेख के निष्पादन के बिना, सरकार गैर-निष्पादन की अवधि के लिए पट्टे के पैसे की वसूली नहीं कर सकती है, जो कि सरकार को राजस्व का एक अपरिवर्तनीय नुकसान है

प्रति अग्रेषित करेगा। पट्टा किराया पट्टा-विलेख के नियम व शर्तानुसार अथवा पट्टा-विलेख के निष्पादन के समय प्रचलित हिमाचल प्रदेश पट्टा-नियम के प्रावधानानुसार आवधिक रूप से संशोधित किया जाए। जिला कलेक्टर बकायादारों को मांग-नोटिस जारी करके वसूली प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है एवं विफलता के मामले में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 एवं राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के तहत संपत्ति जब्त /नीलाम कर सकता है।

क) अल्प/अवसूली - नमूना-जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच जिला राजस्व कार्यालयों⁷ द्वारा 24 पट्टाधारियों (निजी पार्टियों व सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों सहित) से 5 से 99 वर्षों की अवधि हेतु पंजीकृत एवं वर्ष 2026 से 2112 तक की वैधता वाले पट्टा-विलेखों पर 2005-2020 की अवधि हेतु पट्टा-किराया की वसूली नहीं की। इनमें से 2019-2020 में मात्र दस पट्टाधारियों को पट्टा राशि का बकाया जमा करने हेतु मांग-नोटिस जारी किये गए थे। जिला राजस्व कार्यालयों ने न तो बकायादार पट्टाधारियों से पट्टा-राशि की वसूली करने के लिए ना ही पट्टा रद्द करने तथा सरकारी भूमि का पुनः अधिग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई की। इसके परिणामस्वरूप 24 पट्टाधारियों से ₹13.64 करोड़ की अल्प/अवसूली हुई।

ख) संशोधन न करना- छः⁸ जिला राजस्व कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ की 20 से 99 वर्षों की अवधि हेतु एवं वर्ष 2022 से 2107 तक की वैधता वाले पंजीकृत 15 पट्टा-विलेखों का पट्टा-किराया पट्टा-विलेख की शर्तानुसार प्रत्येक पांच या 10 वर्षों में संशोधित किया जाना था परन्तु जिला राजस्व कार्यालयों में निर्धारित अवधि के पश्चात् पट्टा-किराया में संशोधन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तथा लगातार असंशोधित पट्टा-किराया स्वीकार किया। इन पट्टा-किराए को 2007 से 2020 के मध्य संशोधित किया जाना अपेक्षित था पट्टा किराया संशोधित न करने के कारण विभाग ने ₹ 17.94 करोड़ का राजस्व छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त, इन 15 पट्टा-नामों में से चार में पट्टा किराया संशोधित न करने के अतिरिक्त जिला राजस्व कार्यालय पट्टा किराया के ₹ 10.38 लाख की वसूली करने में भी विफल रहा जिसे पट्टाधारियों को पट्टा संशोधन देय होने के पूर्व भुगतान करना अपेक्षित था जिससे कुल ₹18.04 करोड़ (₹17.94 करोड़+ ₹10.38 लाख) की हानि हुई।

III पट्टा-विलेख के नवीनीकरण के बिना सरकारी भूमि का अधिग्रहण अनुमत करना

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 1993 के नियम 25 के अनुसार, यदि पट्टाधारी पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद पट्टा आगे बढ़ाने/नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करता है, तो सरकार अधिग्रहण वापस ले सकती है। नमूना-जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच जिला राजस्व कार्यालयों⁹ में 13 पट्टा-विलेख 2009 व 2019 के मध्य समाप्त हो गए थे। इन 13 मामलों में से 12 पट्टाधारियों ने नवम्बर 2008 से जून 2020 के मध्य नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। तथापि, जिला राजस्व अधिकारियों ने न तो पट्टे के नवीनीकरण हेतु कोई कार्रवाई की न ही पट्टों के समाप्त होने पर सरकारी भूमि का अधिग्रहण वापस लिया। पट्टाधारी उनका पट्टा समाप्त होने के बाद भी उसके लिए बिना कोई पट्टा किराया चुकाए सरकारी भूमि का उपयोग करते रहे। यदि जिला राजस्व अधिकारी पट्टे समाप्त होने पर नवीनीकरण

⁷ कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और शिमला।

⁸ बिलासपुर, कांगड़ा में धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन।

⁹ कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन व शिमला।

करते, तो सरकार पट्टा राशि के रूप में ₹ 2.75 करोड़ अर्जित करती। इसके अतिरिक्त, सरकार इन पट्टा नामों के नवीनीकरण पर उदग्रहण योग्य स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क पर राजस्व भी अर्जित करती।

IV पट्टे के आवंटन में नियमों को गलत ढंग से लागू करना

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 1993, 2011 व 2013 के नियम 8 में वर्णित है की पट्टाधारी से पट्टा राशि कैसे प्रभारित की जाएगी।

नमूना-जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन जिला राजस्व कार्यालयों¹⁰ में 50 वर्षों से 99 वर्षों हेतु तीन पट्टा-विलेख 1989 से 2015 के मध्य निष्पादित किए गए थे, जिन पर राजस्व विभाग ने उक्त नियम 8 के प्रावधानों के विरुद्ध पट्टा किराया¹¹ निर्धारित किया था। हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम के आधार पर देय ₹ 1.90 करोड़ के प्रयोज्य पट्टा किराया के विरुद्ध विभाग ने बिना किसी स्पष्टीकरण के मनमाने ढंग से तय किए गए पट्टा किराया के आधार पर ₹1.22 करोड़ प्राप्त किए। यह 31 मार्च 2020 तक ₹ 68.34 की राजस्व की हानि के रूप में परिणित हुई।

सरकार ने आपत्तियां स्वीकार की तथा आश्वासन दिया (अगस्त 2021) कि नियमों की अनुपालना हेतु निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार ने यह भी संज्ञान लिया कि अभिलेखों को अद्यतन करके एवं उचित निगरानी तंत्रों को पुनर्जीवित करके पट्टा-विलेख के माध्यम से राजस्व के बढ़ने की प्रबल संभावना है।

4.4 निर्मित संरचनाओं पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली

उप-पंजीयकों द्वारा आवासीय तथा गैर-आवासीय निर्मित संरचनाओं के लिये गलत बाजार दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 6.44 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश स्टाम्प (प्रलेख/लिखित अल्प मुल्यांकन निवारण) संशोधन नियम, 1992 के नियम 4(सी) के तहत, राजस्व विभाग की अधिसूचना (जून 2013) निर्धारित करती है कि आवासीय/गैर-आवासीय भवनों के मूल्यांकन की दरें निर्धारित करने के लिए निश्चित कारकों पर विचार किया जाए (i) भवन का पक्के, अर्ध पक्के व कच्चे में वर्गीकरण; (ii) वह क्षेत्र जिसमें भवन स्थित हैं; (iii) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित नवीनतम कुर्सी क्षेत्रफल (प्लिंथ एरिया) दर, (iv) वार्षिक वृद्धि के लिए प्रीमियम तथा (v) भवन/संरचनाओं की न्यूनतम लागत पर पहुँचने के लिए संरचना द्वारा घेरा गया भू-भाग (आनुपातिक या पूर्ण रूप से)। राजस्व विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए निर्मित संरचना दरों को ₹ 12,746 प्रति वर्ग मीटर के रूप में अधिसूचित किया। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा, अगस्त 2014 में, आवासीय भवनों के लिए संरचना दरों को संशोधित कर ₹ 24,436 प्रति वर्गमीटर कर दिया गया।

¹⁰ कांगड़ा, सोलन और शिमला।

¹¹ वर्ष 1988, 2009 और 2015 में। वार्षिक पट्टा किराया ₹ 1,001, ₹1, ₹ 13,40,453 और ₹ 27,03,214 पर वसूलनीय पट्टा किराया क्रमशः ₹ 22,582, ₹ 56,779, ₹ 30,16,020 और ₹ 29,73,536, के प्रति निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2017-19 के दौरान, 128 उप-पंजीयकों के विलेख की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 40 उप-पंजीयकों¹² ने 499 बिक्री विलेखों में निर्मित संरचनाओं पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का अल्प उदग्रहण किया। ये विलेख सितंबर 2013 व दिसम्बर 2018 के बीच निजी वास्तुकारों (आर्किटेक्ट) द्वारा तैयार संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर परिकल्पित ₹ 122.35 करोड़ की मानी गई राशि पर पंजीकृत किए गए थे। यह मूल्यांकन विभाग द्वारा अधिसूचित निर्मित संरचनाओं की दरों पर आधारित नहीं था। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग या सम्बंधित जिलों के उपायुक्तों द्वारा निर्धारित/संशोधित कुर्सी एरिया दरों के आधार पर निर्मित संरचनाओं के मूल्य सहित संपत्तियों का वास्तविक मूल्य ₹ 215.70 करोड़ निकाला गया। तथापि, उप-पंजीयकों ने इन बिक्री विलेख को पंजीकृत करते समय निर्मित संरचनाओं की निर्धारित/संशोधित कुर्सी एरिया दरों के संदर्भ में मानी गई राशि का सत्यापन नहीं किया, जिसके कारण क्रमशः ₹ 4.63 करोड़ एवं ₹ 1.81 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

विभाग ने उत्तर दिया (मई 2019 से अगस्त 2021 के मध्य) 22 उप-पंजीयकों¹³ द्वारा ₹ 37.22 लाख की राशि की वसूली की गई। शेष उप-पंजीयकों ने बताया कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार निर्धारित दरों के अनुसार निर्मित संरचनाओं के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र निर्धारित करने पर विचार करें तथा अधिनियम/नियमों के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर जिम्मेदारी तय करें।

¹² उप-पंजीयक: (2017-18) ऑट: 20 मामले ₹ 0.10 करोड़, बद्दी: 32 मामले ₹ 1.51 करोड़, बरसर: सात मामले ₹ 0.03 करोड़, भोरंज: 14 मामले ₹ 0.05 करोड़, चंबा: 13 मामले ₹ 0.18 करोड़, चुआड़ी: आठ मामले ₹ 0.04 करोड़, धर्मशाला: चार मामले ₹ 0.02 करोड़, जुब्बल: तीन मामले ₹ 0.02 करोड़, जुंगा: पांच मामले ₹ 0.18 करोड़, कांगड़ा: तीन मामले ₹ 0.03 करोड़, मंडी: आठ मामले ₹ 0.04 करोड़, नम्होल: चार मामले ₹ 0.05 करोड़, सरकाघाट: आठ मामले ₹ 0.04 करोड़, सुन्नी: तीन मामले ₹ 0.05 करोड़, स्वरघाट: एक मामला ₹ 0.07 करोड़।

(2018 - 19) बद्दी: 69 मामले, ₹ 1.97 करोड़, बैजनाथ: पांच मामले ₹ 0.04 करोड़, भुंतर: छह मामले ₹ 0.08 करोड़, डलहौजी: 10 मामले ₹ 0.06 करोड़, दरलाघाट: आठ मामले ₹ 0.06 करोड़, घुमारवीं: सात मामले ₹ 0.04 करोड़, गोहर: नौ मामले ₹ 0.03 करोड़, हमीरपुर: 37 मामले ₹ 0.21 करोड़, ईशपुर: 22 मामले ₹ 0.09 करोड़, ज्वाली: 10 मामले ₹ 0.02 करोड़, झंडुता: सात मामले ₹ 0.05 करोड़, जोल: 28 मामले ₹ 0.07 करोड़, कसौली: 11 मामले ₹ 0.06 करोड़, कुल्लू: नौ मामले ₹ 0.06 करोड़ मंडी: 15 मामले ₹ 0.05 करोड़, मनाली: पांच मामले, ₹ 0.08 करोड़ नाहन: 19 मामले ₹ 0.29 करोड़, नालागढ़: 14 मामले ₹ 0.17 करोड़, पांवटा साहिब: पांच मामले ₹ 0.08 करोड़, राजगढ़: 19 मामले ₹ 0.21 करोड़, रामपुर: सात मामले ₹ 0.03 करोड़, शिमला (शहरी): नौ मामले ₹ 0.03 करोड़, सोलन: दस मामले ₹ 0.10 करोड़, ठियोग: चार मामले ₹ 0.02 करोड़ उना: 21 मामले ₹ 0.13 करोड़।

¹³ उप-पंजीयक: (2017 - 18) ऑट: ₹ 5.36 लाख, बरसर: ₹ 1.25 लाख, भोरंज: ₹ 1.93 लाख, चुआड़ी: ₹ 1.51 लाख, जुंगा: ₹ 0.23 लाख, कांगड़ा: ₹ 1.46 लाख, मंडी: ₹ 0.31 लाख, नम्होल: ₹ 2.28 लाख, सरकाघाट: ₹ 2.37 लाख, सुन्नी: ₹ 0.25 लाख (2018-19) बैजनाथ: ₹ 0.43 लाख, भुंतर: ₹ 0.81 लाख, दरलाघाट: ₹ 1.38 लाख, घुमारवीं: ₹ 0.81 लाख, गोहर: ₹ 1.15 लाख, हमीरपुर: ₹ 3.40 लाख, ज्वाली: ₹ 0.75 लाख, झंडुता: ₹ 0.61 लाख, जोल: ₹ 3.6 लाख, कसौली: ₹ 2.53 लाख, कुल्लू: ₹ 3.38 लाख, मंडी: ₹ 1.33 लाख

4.5 सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का अवनिर्धारण

गलत सर्किल दरों तथा सड़क से भूमि की दूरी के झूठे शपथ पत्रों के आधार पर गलत मूल्यांकन के कारण ₹6.20 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

राजस्व विभाग ने जनवरी 2016 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की भूमि को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना हेतु अधिसूचना जारी की, जो राजस्व संपदा की किसी सड़क से उस स्थान/दूरी पर आधारित अर्थात् भूमि की स्थिति (i) 25 मीटर तक; (ii) 25 मीटर से 50 मीटर; (iii) 50 मीटर से 100 मीटर; (iv) 100 मीटर से 1000 मीटर; एवं (v) 1000 मीटर से अधिक सड़कों को क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व अन्य सड़क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रेता को स्टाम्प शुल्क की गणना के लिए संबंधित भूमि की दूरी का राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सड़कों से दूरी बताते हुए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि क्रेता का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है, तो प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क/ पंजीयन फीस के 50 प्रतिशत तक की शास्ति लगाई जानी एवं वसूली की जानी है।

1. झूठे शपथ-पत्र को स्वीकार करने के कारण स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का अल्प उदग्रहण

2018-2019 के दौरान लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 36 उप-पंजीयकों¹⁴ में, 2016 व 2018 के बीच 540 विलेख विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से भूमि की स्थिति की दूरी घोषित करने वाले क्रेताओं द्वारा फ़ाइल स्व-शपथ पत्रों के आधार पर पंजीकृत किए गए। ये विलेख ₹ 109.55 करोड़ की मानी गई राशि के लिए पंजीकृत किए गए थे। जिस पर ₹ 7.54 करोड़ का स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस लगाई गई। लेखापरीक्षा ने राजस्व प्राधिकरण के पास उपलब्ध नक्शों (लट्टा) के साथ शपथ-पत्रों का प्रति-सत्यापन किया तथा पाया कि विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से भूमि की अवस्थिति/दूरी के आधार पर संपत्तियों का मूल्यांकन ₹ 183.89 करोड़ किया जाना चाहिए था, जिस पर ₹ 13.32 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस लगाया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि राजस्व अभिलेख (लट्टा) एवं भूमि की दरें विभाग के पास उपलब्ध थी, फिर भी पंजीयक ने विलेख के पंजीयन से पहले शपथ-पत्रों का प्रति सत्यापन नहीं किया, और इसके बजाय, क्रेताओं द्वारा फाइल किए गए

¹⁴ उप-पंजीयक: धर्मशाला: तीन मामले: ₹ 8.91 लाख, निचार: सात मामले: ₹ 6.96 लाख, अंब: छह मामले: ₹ 6.54 लाख, बद्दी: 42 मामले: ₹ 72.78 लाख, बैजनाथ: 28 मामले: ₹ 11.59 लाख, भुंटर: चार मामले: ₹ 14.73 लाख, देहरा: नौ मामले: ₹ 2.51 लाख, डलहौजी: नौ मामले: ₹ 3.05 लाख, धामी: चार मामले: ₹ 18.69 लाख, फतेहपुर: 58 मामले: ₹ 25.31 लाख, ईशपुर: आठ मामले: ₹ 3.25 लाख, जौल: पांच मामले: ₹ 2.97 लाख, जयसिंहपुर: 27 मामले: ₹ 2.93 लाख, झंडुता: 11 मामले: ₹ 2.46 लाख, कांगड़ा: 31 मामले: ₹ 72.05 लाख, कंडाघाट: छह मामले: ₹ 5.60 लाख, कोटखाई: 24 मामले: ₹ 29.91 लाख, कोटला: नौ मामले: ₹ 46.69 लाख, करसोग: 16 मामले: ₹ 3.09 लाख, कुमारसैन: सात मामले: ₹ 7.51 लाख, कसौली: आठ मामले: ₹ 2.73 लाख, कृष्णगढ़: पांच मामले: ₹ 3.72 लाख, मनाली: 18 मामले: ₹ 22.05 लाख, मंडी: 11 मामले: ₹ 8.26 लाख, नूरपुर: 16 मामले: ₹ 6.33 लाख, नाहन: 11 मामले: ₹ 13.40 लाख, नालागढ़: 45 मामले: ₹ 28.48 लाख, पांवटा साहिब: 27 मामले: ₹ 15.20 लाख, राजगढ़: 12 मामले: ₹ 2.94 लाख, रक्कड़: 21 मामले: ₹ 9.34 लाख, रामपुर: पांच मामले: ₹ 74.34 लाख, शाहपुर: सात मामले: ₹ 3.87 लाख, सोलन: 15 मामले: ₹ 28.41 लाख, शिमला (यू): 15 मामले: ₹ 8.62 लाख। और ऊना: 10 मामले: ₹ 2.14 लाख

स्व-शपथपत्रों की जानकारी पर भरोसा किया। इसके कारण ₹ 5.77 करोड़ (स्टाम्प शुल्क ₹ 4.24 करोड़ + पंजीयन फीस ₹ 1.53 करोड़) के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का अल्प उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के 50 प्रतिशत की दर से ₹ 6.66 करोड़ की शास्ति भी उदग्रहण योग्य रही।

II. गलत दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का अल्प उदग्रहण-

छ: उप-पंजीयकों¹⁵ की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2018 और मार्च 2020 के मध्य) से उजागर हुआ कि 57 विलेख ₹ 9.50 करोड़ की मानी गई राशि हेतु पंजीकृत किए गए थे (2015 व 2018 के मध्य)। उप-पंजीयकों ने इन बिक्री विलेख को पंजीकृत करते समय सहायक दस्तावेजों जैसे सड़क की विभिन्न श्रेणियों में भूमि की अवस्थिति/दूरी घोषित करने वाले स्व शपथ पत्र एवं भूमि की कृषि योग्य/बंजर प्रकृति को घोषित करने वाले जमाबंदी की उपेक्षा/अनदेखी की। यह ₹ 15.08 करोड़ के वास्तविक मूल्यांकन के प्रति ₹ 9.50 करोड़ के गलत मूल्यांकन में परिणत हुआ, जिसके कारण ₹ 42.66 लाख के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 30.64 लाख व पंजीयन फीस: ₹ 12.02 लाख) की अल्प वसूली हुई।

इंगित किए जाने पर 11 उप-पंजीयकों¹⁶ ने उत्तर दिया कि 91 मामलों में ₹ 30.94 लाख की राशि वसूल की गई है (अप्रैल 2018 से सितंबर 2018)। शेष उप-पंजीयकों ने बताया कि सम्बंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा संदेहास्पद शपथ पत्रों की जाँच की जाएगी तथा भूमि की निश्चित अवस्थिति सुनिश्चित करने के पश्चात् तदानुसार कार्रवाई करके लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

संयुक्त सचिव राजस्व ने स्वीकार किया (अगस्त 2021) कि शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का वर्तमान तंत्र पर्याप्त नहीं है तथा कहा कि दूरस्थ शपथ पत्र प्रस्तुत करने व तहसीलदारों द्वारा इसके सत्यापन के लिए नए एसओपी जारी किए जा रहे हैं। इस तंत्र को लागू होने में कुछ महीने लगेंगे।

सरकार सड़क से भूमि की वास्तविक दूरी के सत्यापन हेतु तंत्र स्थापित करने पर विचार करें।

4.6 पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली

पट्टा नामे पर देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना हेतु बाजारी दरों का उपयोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.12 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

राजस्व विभाग ने जनवरी 2012 में अधिसूचित किया कि सभी पट्टा विलेख¹⁷ के पंजीयन के लिए सम्पत्ति के बाजारी मूल्य पर स्टाम्प शुल्क पांच प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क दो प्रतिशत लगाया जाएगा। नमूना जांचित 55 उप-पंजीयकों में से, 11 उप-पंजीयकों के 53 मामलों में, भूमि, 2017 से

¹⁵ उप-पंजीयक: बरसर: चार मामले: ₹ 2.23 लाख, देहा: पांच मामले: ₹ 3.47 लाख, मनाली: छ: मामले: ₹ 2.14 लाख, नूरपुर: पांच मामले: ₹ 11.50 लाख, नाहन: नौ मामले: ₹ 8.15 लाख, पौंटा साहिब: 28 मामले: ₹ 15.18 लाख।

¹⁶ उप-पंजीयक: बैजनाथ: ₹ 3.57 लाख, बरसर: ₹ 0.89 लाख, भूंतर: ₹ 2.59 लाख, फतेहपुर: ₹ 12.35 लाख, जयसिंहपुर: ₹ 0.48 लाख, झंडुता: ₹ 1.59 लाख, करसोग: ₹ 1.82 लाख, कृष्णगंज: ₹ 0.35 लाख, मंडी: ₹ 2.56 लाख, रक्कड़: ₹ 2.00 लाख एवं कांगड़ा: ₹ 2.73 लाख।

¹⁷ फॉर्मूला: स्टाम्प शुल्क @ 5 प्रतिशत x बाजार मूल्य x पट्टे की अवधि/100

2018 के मध्य, तीन वर्ष से 99 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर दी गयी। इन पट्टा विलेख के पंजीयन पर उप-पंजीयकों ने ₹ 237.50 करोड़ भूमि के बाजारी मूल्य के आधार पर ₹ 6.06 करोड़ के उदग्रहण योग्य स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 4.33 करोड़+पंजीयन फीस: ₹ 1.73 करोड़) के स्थान पर ₹ 0.94 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 0.69 करोड़ +पंजीयन फीस: ₹ 0.25 करोड़) का उदग्रहण किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-पंजीयकों ने मनमानी बाजार मूल्यों के आधार पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना की, जबकि सही बाजारी मूल्य की गणना के लिए भूमि की वर्तमान सर्किल दरें विभाग के पास उपलब्ध थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.12 करोड़¹⁸ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 3.64 करोड़ +पंजीयन फीस: ₹ 1.48 करोड़) की अल्प वसूली हुई। राज्य राजस्व पर विगत वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ऐसे समान मुद्दे चिन्हांकित किए गए थे, परन्तु उप-पंजीयक नियम स्थिती से निरंतर विचलित होते रहे। ऐसे विचलनों के लगातार बने रहने हेतु कोई कारण अभिलेख में पाए नहीं गए।

बिक्री विलेख और पट्टा-विलेख दोनों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की गणना हिमरिस सॉफ्टवेयर पर की जाती है। पट्टा- विलेख के मामले में, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की गणना के फार्मूले के लिए दो मूल्यों की आवश्यकता होती है - बाजारी मूल्य व पट्टे की अवधि। वर्तमान व्यवस्था में, दोनों मूल्य मैनुअल रूप से सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किए जाते हैं, जिससे उप-पंजीयकों द्वारा प्रविष्ट किए गए बाजारी मूल्य में मनमानी का जोखिम रहता है। इसके बजाय, सॉफ्टवेयर को स्वचालित रूप से बाजारी मूल्य¹⁹ की गणना करने के लिए प्रोग्राम किया जाना चाहिए, अर्थात् उपायुक्त द्वारा अधिसूचित सर्किल दरों पर आधारित बाजारी मूल्य को स्वतः लेना चाहिए, जो कि सिस्टम में पहले से प्रविष्ट किया जाए। इससे उप-पंजीयकों का स्वनिर्णय समाप्त हो जाएगा तथा यह सुनिश्चित हो जाएगा कि स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का उचित उदग्रहण किया गया है। अपने वर्तमान स्वरूप में यह व्यवस्था सरकारी राजस्व की सुरक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाती है।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि चार उप-पंजीयकों ने ₹ 2.85²⁰ लाख की राशि की वसूल की (अगस्त 2020 और अक्टूबर 2020 के बीच), तथापि, उक्त विभागीय अधिसूचना का पालन न करने का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभागीय अधिसूचना का लगातार पालन न करने के कारणों की जांच करें तथा सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करें।

¹⁸ बद्दी: नौ मामले, ₹ 35.12 लाख; बिलासपुर: एक मामला, ₹13.63 लाख; देहरा: दो मामले, ₹9.31 लाख; दाडलाघाट: एक मामला, ₹ 4.15 करोड़; कुमारसैन: दो मामले, ₹ 4.57 लाख; कसौली: आठ मामले, ₹ 7.10 लाख; नाहन: 12 मामले, ₹ 7.87 लाख; नगरोटा सूरिया: दो मामले, ₹ 3.68 लाख; नालागढ़: दो मामले, ₹ 2.10 लाख; रामपुर: दो मामले, ₹3.02 लाख व सोलन: 12 मामले, ₹10.82 लाख

¹⁹ बाजार मूल्य = सतह क्षेत्र x सर्किल दर।

पंजीयन को केवल उपायुक्त द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और संपत्ति के सतह क्षेत्र दर लगाना चाहिए।

²⁰ नगरोटा सूरिया: ₹ 1.36 लाख और कुमारसैन: ₹ 1.00 लाख, जुंगा और बलेरी- ₹ 0.49 लाख।

अध्याय-V
वाहन, यात्री एवं माल कर

अध्याय-V

वाहन, यात्री एवं माल कर

5.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (परिवहन) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है। विभाग में एक राज्य परिवहन प्राधिकारी, एक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (विशेष पथकर), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, और पंजीयन व अनुज्ञापन प्राधिकारियों को सम्मिलित किया गया है जो केन्द्रीय और राज्य मोटर वाहन अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग की प्राप्तियों को विनियमित करते हैं। आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) के प्रशासनिक नियन्त्रण के तहत उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, यात्री व माल कर अधिनियम 1955 की प्राप्तियों को विनियमित करते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा योग्य 107 इकाइयों में से वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 322.94 करोड़ की प्राप्ति वाली 44 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 41.02 करोड़ के 257 मामलों में कर का अवनिर्धारण एवं टोकन टैक्स, विशेष पथ कर, पंजीयन फीस, परमिट फीस, राष्ट्रीय परमिट योजना के अंतर्गत समेकित शुल्क एवं शास्ति से सम्बन्धित अन्य अनियमितताएं पाई गई जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा परिणाम

			₹ करोड़ में
क्र. स.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	अल्प/अवसूली		
	<ul style="list-style-type: none">टोकन कर व समेकित शुल्कविशेष पथ करयात्री व माल कर	116 27 11	11.22 23.96 2.02
2.	अपवंचन		
	<ul style="list-style-type: none">टोकन करयात्री व माल कर	9 21	0.52 1.88
3.	अन्य अनियमितताएं		
	<ul style="list-style-type: none">वाहन कर तथा यात्री व माल कर	73	1.42
	योग	257	41.02

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20 के दौरान, विभाग ने वर्तमान वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित 192 मामलों में ₹ 36.90 करोड़ के अव-निर्धारणों एवं अन्य कमियों तथा विगत वर्षों के से सम्बंधित सात मामलों में ₹ 91.17 लाख के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया। पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित सात मामलों में ₹ 91.01 लाख की राशि की वसूली की गई।

₹ 34.73 लाख की राशि के एक महत्वपूर्ण प्रकरण की चर्चा नीचे की गई है:

5.3 यात्री एवं माल कर की अवसूली

अवधि 2017-19 के लिए 572 व्यावसायिक वाहनों के मालिकों द्वारा ₹ 34.73 लाख के यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं किया गया एवं न ही विभाग द्वारा मांग की गई।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1955 के अंतर्गत, व्यावसायिक वाहन स्वामियों को सभी किराए एवं भाड़े पर निर्धारित दरों पर यात्री एवं माल कर का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से करना अपेक्षित है। यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में विफल होता है तो उसे न्यूनतम पांच सौ रूपये शास्ति का भुगतान करना होगा। हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर नियम, 1957 आगे निर्दिष्ट करता है कि वाहन मालिक उस अवधि के लिए जिसके दौरान वाहन का उपयोग नहीं हो रहा, कर के भुगतान में छूट के लिए सम्बंधित निर्धारण प्राधिकारियों को यथाशीघ्र सूचित करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति या बकाया की उक्त अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली की जाएगी।

पांच उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी कार्यालयों में अनुरक्षित 2377 वाहनों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2017-19 की अवधि के लिए 572¹ व्यावसायिक वाहन मालिकों के द्वारा ₹ 34.73 लाख के यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं किया गया था जो कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 5.2: वाहनों का विवरण जिनसे यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं की गई

₹ लाख में						
क्र.स.	वाहनों की श्रेणी	यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों की संख्या (नमूना जांचित)	वसूली योग्य राशि			
			यात्री कर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि	₹ 500/- प्रति वाहन की दर से न्यूनतम जुर्माना
1.	यात्री वाहन (मैक्सी कैब्स/टैक्सी/शैक्षणिक संस्थानों की बसें)	217 (732)	13.94	-	13.94	1.08
2.	माल वाहन (भारी वाहन/मध्यम वाहन/हल्के माल वाहन/ट्रेक्टर)	355 (1,645)	-	20.79	20.79	1.78
योग		572(2,377)	13.94	20.79	34.73	2.86

¹ चंबा: 132 वाहन: ₹ 9.99 लाख; किन्नौर: 123 वाहन: ₹ 9.33 लाख; कुल्लू: 149 वाहन: ₹ 5.87 लाख; मंडी: 80 वाहन: ₹ 4.95 लाख और नूरपुर: 88 वाहन: ₹ 4.59 लाख।


इन मालिकों ने कर अवधि के दौरान वाहनों का उपयोग न करने पर कर से छूट की भी मांग नहीं की थी। प्राधिकारियों ने मालिकों को मांग-नोटिस जारी नहीं किये तथा न ही भू-राजस्व के रूप में वसूली करने के लिए मामलों को जिला कलेक्टर को भेजा गया। जबकि लेखापरीक्षा के द्वारा पिछले पांच वर्षों से अनियमितता को इंगित करने के बाद भी उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने करदाता से एकत्रित कर एवं देय कर को सत्यापित करने के लिए एक प्रभावी तन्त्र विकसित नहीं किया।

यह इंगित करने पर सभी पांच उपायुक्त राज्य एवं आबकारी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2019 तथा नवम्बर 2019 के मध्य) कि यात्री एवं माल कर के भुगतान के लिए बकायादारों को नोटिस जारी किये गये थे। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि 128 वाहनों से ₹ 7.28 लाख की वसूली कर ली गई है।

सरकार विभाग को इसके राजस्व की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान का पालन करने तथा कर निर्धारण के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

शिमला

दिनांक: 26 नवम्बर 2021


(ऋतु ढिल्लों)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 10 दिसम्बर 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(सन्दर्भ परिच्छेद 1.1)
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)

विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय के अंश का विवरण		
क्र. स.	मुख्य प्राप्ति शीर्ष	वास्तविक राशि
1.	0005-901 केंद्रीय माल एवं सेवा कर	1,327.34
2.	0008-901- एकीकृत माल और सेवा कर	0.00
3.	0020-901 निगम कर	1,594.86
4.	0021-901 निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	1,249.68
5.	0028-901 आय और व्यय पर अन्य कर	0.00
6.	0032-901- संपत्ति पर कर	0.07
7.	0037-901 कस्टम्स	296.49
8.	0038-901 संघ उत्पाद शुल्क	206.16
9.	0044-901 सेवा कर	0.00
10	0045-901 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2.96
सकल योग		4,677.56

परिशिष्ट 1.2

(सन्दर्भ परिच्छेद 1.1.3)

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)

अन्य कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा			
क्र. स.	मुख्य प्राप्ति शीर्ष	वास्तविक राशि 2018-19	वास्तविक राशि 2019-20
1.	0050 लाभान्श एवं लाभ	181.92	248.44
2.	0051- लोक सेवा आयोग	13.86	8.65
3.	0056- कारागार	0.29	0.23
4.	0057- आपूर्ति एवं निपटान	0.11	0.03
5.	0058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	11.30	12.04
6.	0071-पेंशन एवं अन्य के प्रति अंशदान एवं वसूली	27.60	12.02
7.	0075- विविध सामान्य सेवाएं	20.76	5.17
8.	0202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	214.59	238.59
9.	0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	12.02	24.79
10.	0211 परिवार कल्याण	0.03	-0.02
11.	0215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता	62.13	67.07
12.	0216-आवास	3.64	3.55
13.	0217- शहरी विकास	4.29	6.62
14.	0220-सूचना एवं प्रचार	2.08	2.41
15.	0230 -श्रम एवं रोजगार	7.99	7.8
16.	0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	9.61	38.79
17.	0250 -अन्य सामाजिक सेवाएं	0.01	0.02
18.	0401-फसल पालन	10.94	8.48
19.	0403 पशुपालन	1.18	0.98
20.	0405-मस्य	3.38	3.16
21.	0407/ पौधारोपण	0.01	0.01
22.	0408-खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउस	98.37	0.03
23.	0425-सहकारिता	24.65	6.84
24.	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	0.52	0.63
25.	0515-अन्य ग्रामीण विकास	5.18	3.51

26.	0575-अन्य सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम	0.18	0.11
27.	0700-मुख्य सिंचाई	0.12	1.36
28.	0701- मध्यम सिंचाई	0.07	0.15
29.	0702-लघु सिंचाई	0.84	0.84
30.	0851- ग्राम एवं लघु उद्योग	0.93	1.89
31.	0852-उद्योग	8.69	7.3
32.	3054-सड़कें एवं पुल	80.72	12.44
33.	1055- पथ परिवहन	0.38	0.64
34.	1425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.00	0.21
35.	1452-पर्यटन	1.33	5.89
36.	1456- नागरिक आपूर्ति	0.07	2.08
37.	1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	8.52	13.36
सकल योग		818.31	746.11

परिशिष्ट 1.3

(सन्दर्भ परिच्छेद 1.7.1)

निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष	अथ शेष			वर्ष के दौरान जमा			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मुद्रा मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मुद्रा मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मुद्रा मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मुद्रा मूल्य
2010-11	144	718	57.17	12	252	55.72	16	273	41.83	140	697	71.06
2011-12	140	697	71.06	10	202	87.34	30	177	27.82	120	722	130.58
2012-13	120	722	130.58	11	241	22.26	14	140	9.51	117	823	143.33
2013-14	117	823	143.33	12	215	109.71	7	267	48.42	122	771	204.66
2014-15	122	771	204.66	9	259	54.5	8	76	2.46	123	954	256.66
2015-16	123	954	256.66	15	373	70.84	19	458	3.8	119	869	323.7
2016-17	119	869	323.7	14	243	53.45	7	247	3.36	126	865	373.79
2017-18	126	865	373.79	15	270	79.22	12	375	14.51	129	760	438.49
2018-19	129	760	438.49	14	245	70.55	6	89	8.43	137	916	500.62
2019-20	137	916	500.62	16	210	126.43	4	179	10.89	149	947	616.15

परिशिष्ट 1.4

सन्दर्भ परिच्छेद-1.7.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)						
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल परिच्छेदों की संख्या	परिच्छेदों का मुद्रा मूल्य	स्वीकृत परिच्छेदों की संख्या	स्वीकृत परिच्छेदों का मुद्रा मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि**	31 मार्च 2020 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की स्थिति **
1	2	3	4	5	6	7
2009-10	8	34.06	7	0.96	0	0.33
2010-11	9	69.00	8	0.68	0	0.55
2011-12	9	17.31	8	9.20	0	0.39
2012-13	10	33.83	4	3.75	0	0.26
2013-14	12	20.28	3	4.53	0	0.66
2014-15	6	16.34	6	16.04	0	2.44
2015-16	4	5.36	4	5.36	0	0.13
2016-17	6	15.64	6	15.64	0	0.0005
2017-18	8	39.84	8	39.84	0	0.62
2018-19*	8	8.93	-	-	0-	-
सकल योग	80	260.59	56	96	0	5.38

*रिपोर्ट 13-08-2021 को प्रस्तुत की गई।

** दस वर्ष के अन्तराल के बाद जुलाई 2021 में आबकारी एवं कराधान विभाग की लोक लेखा समिति का आयोजन हुआ था तथा वसूली की नवीनतम स्थिति की मांग की गई।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>